वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-II)

2020-21

सिडबी

लघु इकाइयों के सशक्तिकरण द्वारा

आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

क्रम-सूची

परिशिष्ट-I......................पृष्ठ 01-44

परिशिष्ट-II......................पृष्ठ 45-91

परिशिष्ट-I

सिडबी के लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी के साथ लेखापरीक्षित तुलन-पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने “भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" ("बैंक") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ और हानि लेखे, समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण एवं एकल वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियाँ शामिल है, इसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी दी गयी है।

हमारे मत में साथ में दिए गए एकल वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 तक बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व नकदी प्रवाह, बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं एवं यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियमन 14 (1), और भारत में आमतौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

मंतव्य का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपन्न की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के अनुभाग में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त है और एकल वित्तीय विवरण के बारे में हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय

हम बैंक के परिचालन और आस्ति गुणवत्ता पर कोविड -19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के बारे में एकल वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची XVI के नोट संख्या 29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखापरीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।.

लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों का विवरण

	लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया
(i)	**अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)**	
	अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण सहित प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ('भा रि बैंक') ने बैंकों के अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड' निर्धारित किए हैं, जिसमें कोविड-19 नियामक पैकेज -आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में जारी परिपत्र भी शामिल हैं।	अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आईआरएसीपी मानदंड) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न मौजूदा अनिश्चित आर्थिक वातावरण को देखते हुए अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के पहचान के लिए उचित तंत्र की स्थापना हो और बैंक से अपेक्षित है कि विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा की पहचान कर उसे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण श्रेणी के निर्णय को लागू करे।

महत्वपूर्ण निर्णय और एनपीए की पहचान के लिए प्राक्कलन और प्रावधान तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन को जन्म दे सकते हैं:

- आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की मान्यता की पूर्णता और समय;
- ऋण जोखिम, कितने वर्ष से है और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति की वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन;
- अनर्जक आस्तियों पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन

इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए विभिन्न कोविड-19 वैश्विक महामारी प्रतिबंधों के कारण, बैंक के कुछ कार्यक्षेत्रों/कार्यालयों और शाखाओं के परिसरों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका। तदनुसार, लेखापरीक्षा को दूरस्थ रूप से करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित करने की आवश्यकता थी।

अग्रिमों के वर्गीकरण के बाद से, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का निर्माण (कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय की पहचान के लिए:

- बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता है;
- बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;
- मूल रूप से योजना के अनुसार संबंधित शाखा कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत यात्राओं/आमने सामने बातचीत के माध्यम से पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता है;

हमने इस विषय को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में सुनिश्चित किया है।

लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना।
- बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं संपन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

क. एप्लिकेशन सिस्टम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण पर विचार किया जहां अग्रिमों को अभिलेखित किया जाता है।

ख. दबाव की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की बड़ी जमाराशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों पर विशेष उल्लेख किये गए खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार।

ग. मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना।

घ. ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेतक थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में डिफ़ॉल्ट की घटना हुई थी।

ङ. बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार करना।

च. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच।

पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खातों के महत्व सहित कारकों के आधार पर यथा आस्ति वर्गीकरण तिथियों का, अप्राप्त ब्याज का व्यूत्क्रमण, उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण का नमूना आधार पर परीक्षण किया। हमने प्रमुख आगत कारकों पर विचार करने के बाद अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और उससे प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे मापन परिणाम की तुलना की।

जहां कहीं भी कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिबंधों के कारण शाखाओं तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, हमने डिजिटल माध्यम, ईमेल और बैंक के नेटवर्क पर सीबीएस और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तक दूरस्थ पहुँच के माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/रिपोर्ट/दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा को कवर करने के लिए अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया। इस सीमा तक, हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया संपन्न की गई, जिन्हें वर्तमान अवधि की लेखापरीक्षा करने और रिपोर्टिंग करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/फोन कॉल/ईमेल और इसी तरह के संचार शृंखलाओं का उपयोग करके संबंधित बैंक कर्मचारियों के साथ पूछताछ और चर्चा के माध्यम से और सबूत इकट्ठा करके, जहां प्रासंगिक हो, इन ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरक बनाया गया।

लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया

(ii) **निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधानीकरण (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)**

निवेशों को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र और निर्देश अन्य बातों के साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का अनिर्धारण और अनर्जक निवेशों के प्रति प्रावधानीकरण को समाहित करते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों के प्रत्येक संवर्ग (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई पर उद्धृत दरों से, एनएसई, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से आंकड़ें / सूचना का संग्रह भी शामिल है।

हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बुक के आधार पर ह्रासित मूल्यांकन हेतु प्रबंधन का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कुछ निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल प्रबंधन के निर्णय की वजह से निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाएं परिपत्रों/ निर्देशों में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और संबंधित प्रावधानीकरण/ निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से -

- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्युत्क्रमण और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;
- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया;
- चालू निवेश के चयनित नमूने लेकर हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;
- हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप रखे जाने वाले प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और अनर्जक निवेश के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है;

(iii) **वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('आईटी') प्रणाली और नियंत्रण**

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:

- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।
- बैंक के पास उचित समायावधि में पहचाने गए एप्लिकेशन सिस्टम का एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर लेखापरीक्षण की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक के अधिकारियों द्वारा उचित समायावधि में की जाती है।
- हमने बाह्य सलाहकारों द्वारा किए गए एप्लिकेशन सिस्टम ऑडिट और शाखाओं में किए गए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की समीक्षा की है और उन पर भरोसा किया है।

लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया
(iv) प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV का नोट 10 और नोट 12)	
प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई। आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर-मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है। बैंक का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के तथ्यों, उनका अपना निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम, बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमांकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित डिस्काउंट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। हमने उन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसमें कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उनके पूर्वानुमानों में निर्णय के संप्रयोग की आवश्यकता होती है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण /प्रक्रियाओं में यह शामिल था: • मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना; • विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; • बैंक के कर-सलाहकारों के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी /कर-सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषयवस्तु के गुणावगुणों की योग्यता का मूल्यांकन करना; • बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन; तथा • आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देनदारियों को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आयु अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बेंचमार्किंग मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई मान्यताओं का आकलन शामिल था। • हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन, योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है।

एकल वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है या नहीं। अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम इस मामले को अभिशासन के प्रभारी तक पहुंचाएं।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृश्य देते हैं और लेखांकन सिद्धांत भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन बैंक के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक का प्रबन्धन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखापरीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो किन्तु प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा एकल वित्तीय विवरणियों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम एकल वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वो प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक उन विषयों को नहीं उठाते जब तक कि कानून या विनियमन, मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबाधित नहीं करता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य विषय

(i) इन एकल वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा दौरा किए गए / लेखापरीक्षित 32 शाखाओं के प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2021 को अग्रिमों

का 95.52%, जमाओं का 99.52% और उधार का 100% शामिल हैं और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.14% तथा जमा पर ब्याज व्यय का 99.34% और उधार पर ब्याज व्यय का 98.62% भी शामिल है । इन शाखाओं का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने बैंक की शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।

(ii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनकी 15 मई, 2020 की रिपोर्ट में उन एकल वित्तीय विवरणों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई थी।

हमारी राय में उपरोक्त मामलों के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम सूचित करते हैं कि:

क. हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख. हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधित: उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।

ग. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

घ. हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।;

ङ. इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त एकल तुलन पत्र,एकल लाभ-हानि लेखा,एकल नकद प्रवाह विवरण खाता बहियों के अनुरूप है।

च. हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

कृते बोरकर एवं मजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755
यूडीआईएन: 21133755AAAABW9847

स्थान: मुंबई
तिथि: 25 मई, 2021

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2021

(राशि ₹ में)

	अनुसूचियाँ	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
आरक्षितियाँ, आधिक्य और निधियाँ	II	2,07,56,28,92,633	1,84,65,53,87,321
जमा	III	12,44,12,11,71,085	10,59,71,64,39,231
उधार	IV	3,90,90,19,08,226	5,57,03,38,37,542
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	75,31,92,47,651	68,64,97,19,422
आस्थगित कर देयता		-	1,52,32,715
योग		**19,23,22,44,39,905**	**18,75,38,98,36,541**
आस्तियां			
नकद एवं बैंक शेष	VI	1,38,07,95,68,421	64,83,38,91,127
निवेश	VII	1,91,53,46,78,481	1,11,17,85,33,236
ऋण एवं अग्रिम	VIII	15,62,32,79,99,814	16,54,21,56,14,553
अचल आस्तियां	IX	2,77,32,26,435	2,86,71,15,169
अन्य आस्तियां	X	28,50,89,66,754	42,29,46,82,456
योग		**19,23,22,44,39,905**	**18,75,38,98,36,541**
आकस्मिक देयताएँ	XI	59,50,61,36,098	76,13,98,91,761
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XV		
लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ	XVI		

उपरोल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान - बेंगलुरु
दिनांक: 25 मई, 2021

लाभ एवं हानि लेखा

यथा मार्च 31, 2021 को

(राशि ₹ में)

	अनुसूचियाँ	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
आय			
ब्याज एवं छूट	XII	1,02,21,35,67,271	1,10,20,93,69,739
अन्य आय	XIII	9,44,26,93,251	10,69,36,41,116
योग		**1,11,65,62,60,522**	**1,20,90,30,10,855**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		65,42,87,64,888	77,22,05,87,193
परिचालन व्यय	XIV	5,60,00,42,556	6,07,45,88,592
प्रावधान एवं आकस्मिक		9,15,23,84,536	9,52,98,06,119
योग		**80,18,11,91,980**	**92,82,49,81,904**
कर पूर्व लाभ		**31,47,50,68,542**	**28,07,80,28,951**
आयकर के लिए प्रावधान		7,68,66,09,000	5,17,47,06,878
आस्थगित कर समायोजन (आस्ति /देयता)		(19,43,10,130)	(24,18,96,000)
कर पश्चात लाभ		**23,98,27,69,672**	**23,14,52,18,073**
लाभ अग्रानीत		96,17,75,070	49,99,16,015
कुल लाभ / (हानि)		**24,94,45,44,742**	**23,64,51,34,088**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षितियों में अंतरण		22,50,00,00,000	22,10,00,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		80,00,00,000	55,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	33,59,018
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		4,10,00,000	3,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		1,06,38,44,062	-
लाभांश पर कर		-	-
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		53,97,00,680	96,17,75,070
योग		**24,94,45,44,742**	**23,64,51,34,088**
मूल /विलयित प्रति शेयर अर्जन		45.09	43.51
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		
उक्त अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखे का अभिन्न अंग है।			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान - बेंगलुरु
दिनांक: 25 मई, 2021

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
(क) प्राधिकृत पूंजी	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- ईक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी की गई, अभिदत्त और चुकता पूंजी	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- ईक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- अधिमानी शेयर पूंजी	-	-
योग	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) आरक्षित निधि		
i) सामान्य आरक्षित निधि		
- आरंभिक शेष	1,46,73,51,37,200	1,24,63,51,37,200
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	22,50,00,00,000	22,10,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**1,69,23,51,37,200**	**1,46,73,51,37,200**
ii) शेयर प्रीमियम		
- आरंभिक शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**16,68,07,79,690**	**16,68,07,79,690**
iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ		
क) निवेश हेतु आरक्षित निधि		
- आरंभिक शेष	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- आरंभिक शेष	16,22,00,00,000	15,67,00,00,000
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	80,00,00,000	55,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**17,02,00,00,000**	**16,22,00,00,000**
ग) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- आरंभिक शेष	1,14,93,45,044	1,14,59,86,026
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	33,59,018
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**1,14,93,45,044**	**1,14,93,45,044**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	**53,97,00,680**	**96,17,75,070**
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- आरंभिक शेष	2,65,61,42,832	2,65,23,89,862
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	37,52,970
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,61,42,832**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- आरंभिक शेष	25,22,07,485	24,74,30,617
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	4,10,00,000	3,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	1,14,20,298	2,52,23,132
- अंतिम शेष	**28,17,87,187**	**25,22,07,485**
ग) अन्य	-	-
योग	**2,07,56,28,92,633**	**1,84,65,53,87,321**

(राशि ₹ में)

अनुसूची III: जमा	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) सावधि जमाराशियाँ	50,04,64,96,085	31,77,53,39,231
ख) बैंको से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	11,26,05,11,50,000	9,39,05,30,50,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	8,02,35,25,000	7,02,35,25,000
ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	50,00,00,00,000	71,86,45,25,000
(ख) उप-योग	**11,94,07,46,75,000**	**10,27,94,11,00,000**
योग	**12,44,12,11,71,085**	**10,59,71,64,39,231**

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से	20,40,09,88,429	21,07,48,45,249
(भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)		
3. बॉण्ड एवं डिबैंचर	1,70,87,50,00,000	1,75,62,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	38,75,00,00,000	49,50,00,00,000
- जमाराशियों के प्रमाणपत्र	42,85,00,00,000	1,98,90,00,00,000
- बैंकों से लिए गए सावधि ऋण	48,14,20,83,006	14,36,35,43,399
- सावधि ऋण उधारियाँ	-	-
- अन्य'	4,99,94,82,245	4,74,98,02,338
उप-योग (I)	**3,26,01,75,53,680**	**4,64,21,31,90,986**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	7,92,50,08,344	11,60,28,09,154
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	20,87,89,58,963	34,07,23,44,393
(ग) आईएफएडी, रोम	1,10,10,79,766	1,15,34,15,466
(घ) विश्व बैंक	33,21,79,18,293	43,46,01,15,739
(ञ) अन्य	1,76,13,89,180	2,53,19,61,804
उप-योग (II)	**64,88,43,54,546**	**92,82,06,46,556**
योग (I &II)	**3,90,90,19,08,226**	**5,57,03,38,37,542**

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
उपचित ब्याज	20,83,21,62,892	27,16,74,34,630
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,26,55,18,260	3,09,97,41,738
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	13,50,36,000	62,60,20,000
सिडबी कर्मचारी के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान	2,48,86,71,702	1,93,65,85,000
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	11,06,49,47,151	6,55,00,89,506
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,06,38,44,062	-
निधियाँ यथा आंकाक्षा निधि, स्टार्ट अप के लिए निधियों की निधि, पीआरएफ पीआरएसएफ आदि	12,33,11,61,527	8,49,58,08,897
अस्थिर प्रावधान	10,99,96,00,000	10,99,96,00,000
अन्य (प्रावधान सहित)	11,60,09,43,291	8,23,70,76,885
योग	**75,31,92,47,651**	**68,64,97,19,422**

आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक अधिशेष	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,54,935	6,16,569
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	92,06,46,927	31,01,91,553
ii) अन्य निक्षेप खातों में	1,34,15,99,19,330	60,47,58,45,836
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	1,90,00,930	5,19,09,337
ii) अन्य निक्षेप खातों में	2,97,93,46,299	3,99,53,27,832
योग	**1,38,07,95,68,421**	**64,83,38,91,127**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	36,25,12,72,542	4,91,62,54,874
3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	5,24,16,82,049	7,39,95,25,696
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	1,98,08,42,613	1,99,92,72,771
4. म्यूचल फंड	37,50,81,24,592	34,10,00,00,001
5. वाणिज्यिक पत्र	65,68,39,65,908	5,99,41,36,088
6. जमा प्रमाणपत्र	13,97,08,63,310	25,67,58,49,839
7. अन्य	-	-
उप- योग (क)	**1,60,63,67,51,014**	**80,08,50,39,269**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,84,97,71,142	1,82,22,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	4,46,46,49,681	4,63,89,03,959
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. उदयम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	6,42,18,48,997	6,45,75,11,219
6. अन्य	65,11,58,907	66,43,08,907
उप-योग (ख)	**30,89,79,27,467**	**31,09,34,93,967**
योग (क+ख)	**1,91,53,46,78,481**	**1,11,17,85,33,236**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	13,16,64,02,14,298	14,32,32,64,04,547
- अल्प वित्त संस्थाएं	16,72,32,44,874	18,21,00,01,621
- एन बी एफ सी	1,12,92,14,25,624	1,03,74,97,12,032
- पुनर्भुनाए गए बिल	-	-
उप- योग (क)	**14,46,28,48,84,796**	**15,54,28,61,18,200**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	1,15,81,08,75,592	98,66,91,14,927
- प्राप्य वित्त योजना	23,22,39,426	1,26,03,81,426
- भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (ख)	**1,16,04,31,15,018**	**99,92,94,96,353**
योग (क+ख)	**15,62,32,79,99,814**	**16,54,21,56,14,553**

(राशि ₹ में)

अनुसूचीIX: अचल आस्तियां [मूल्यह्रास के बाद निवल]	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. परिसर	2,75,92,83,828	2,83,87,18,310
2. अन्य	1,39,42,607	2,83,96,859
योग	**2,77,32,26,435**	**2,86,71,15,169**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां:	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
उपचित ब्याज	17,39,56,29,640	20,69,30,66,262
अग्रिम कर (प्रवाधान के बाद)	78,02,94,395	3,88,74,70,623
स्टाफ ऋण	1,69,52,27,467	1,58,42,29,160
व्युत्पन्न आस्तियां	5,83,74,04,868	9,06,83,52,248
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	1,94,24,53,524	5,52,43,75,071
अन्य	85,79,56,860	1,53,71,89,092
योग	**28,50,89,66,754**	**42,29,46,82,456**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं	March 31, 2021	March 31, 2020
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	5,06,41,82,735	5,74,27,63,852
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	20,23,30,137	46,99,22,915
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	21,81,77,727	5,79,87,607
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों, वीसीएफ के तहत आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धता इत्यादि के फलस्वरूप	17,46,36,734	5,19,13,80,042
vi) व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए	53,84,68,08,765	64,67,78,37,345
vii) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	-	-
योग	**59,50,61,36,098**	**76,13,98,91,761**

लाभहानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. ऋणों अग्रिमों और बिलों पर ब्याज और बट्टा	90,55,19,84,990	1,03,92,13,18,393
2. निवेशों / बैंक अधिशेषों पर आय	11,66,15,82,281	6,28,80,51,346
योग	**1,02,21,35,67,271**	**1,10,20,93,69,739**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. अग्रिम देय एवं संसाधन शुल्क	35,38,16,367	47,71,19,491
2. कमीशन एवं दलाली	83,89,829	1,25,57,895
3. निवेशों की बिक्री पर लाभ	1,25,88,60,175	3,98,46,25,620
4. सहयोगी / सहायक संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	25,39,38,889	4,97,93,519
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अशोध्य ऋणों से की गई वसूलियाँ	1,42,52,18,289	1,02,21,91,305
7. प्रावधानों का व्युत्क्रमण/एफ़सीएल के अंतर्गत ईआरएफ़एफ़	5,17,85,60,369	3,71,15,35,404
8. अन्य	96,39,09,333	1,43,58,17,882
योग	**9,44,26,93,251**	**10,69,36,41,116**

(Amount in ₹)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
कर्मचारियों के लिए किये गए भुगतान और प्रावधान	3,87,77,13,208	3,93,57,01,040
किराया, कर और बिजली	14,97,56,156	16,53,46,313
मुद्रण एवं स्टेशनरी, डाक/ कोरियर एवं टेली एवं बीमा	1,23,90,186	1,76,97,415
विज्ञापन और प्रचार	2,84,12,385	9,89,69,313
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / ऋण-परिशोधन	24,03,93,728	18,27,17,393
निदेशक शुल्क, परिलब्धियाँ एवं व्यय	36,23,666	42,99,620
लेखा परीक्षक शुल्क	28,66,387	29,24,757
विधि प्रभार	1,41,97,202	1,52,91,720
मरम्मत और रखरखाव	11,20,92,010	17,21,34,109
निर्गम व्यय	42,82,499	12,45,45,493
पूंजी प्रतिबद्धता, प्रबंध शुल्क आदि	1,49,78,690	7,70,27,713
अनुपलब्ध निविष्टि कर	9,30,45,281	12,40,21,740
अन्य व्यय	1,04,62,91,158	1,15,39,11,966
योग	**5,60,00,42,556**	**6,07,45,88,592**

अनुसूची XV महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप वर्तमान और भविष्य की अवधि में भावी रूप से किया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण:

बैंक को जो भी संभावित आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में यूनिट/ शेयरों के मोचन को एच टी एम श्रेणी में बिक्री के रूप में नहीं माना जाता।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज,

(ख) मूलधन,

(ग) लागत व प्रभार,

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के संदर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, लागू करों के समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

xi. सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

xii. बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

xiv. एलसी/बीजी पर कमीशन को अवधि के दौरान उपचय आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में संवर्गीकरण कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया हैः

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां,जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है।

इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

i. उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii. कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

iii. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

iv. उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है/ जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

v. निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बेची हुई निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

vi. निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

vii. जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

viii. निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

ix. अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

x. ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

xi. बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

xii. भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

xiii. उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

xiv. गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यांकन खंडित मूल्य पर किया गया है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार `1/- प्रति कंपनी का मूल्य रखा गया।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित उपबंधों के अनुरूप किया गया है:

i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना फ़ॉरेन एक्स्चेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को फ़ॉरेन एक्स्चेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/ खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

vii. बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, वे फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर पुनर्मूल्यांकित किये जाते हैं।

5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण एवं अग्रिम:

i. ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक अग्रिमों व पुनर्संरचित अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

iii. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

iv. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. कराधान:

i. कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

ii. आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

iii. आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

iv. जो प्रावधान न किए गए विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, उन्हे आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8. **प्रतिभूतीकरण:**

i. बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

ii. बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii. बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

iv. बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9. **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:**

i. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

ii. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. **स्टाफ के हितार्थ प्रावधान**

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

i. भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

ii. ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

iii. बीमांकिक लाभ/हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं ।

iv. नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

v. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. **स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास**

i. स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ii. आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ

iii. पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

क) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

ग) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

ङ) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv. वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

v. पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यंत किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

एएस-29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को एएस-19 के अनुसार पट्टे के अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि लेखे में व्यय/आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि व म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

अनुसूची XVI लेखे की टिप्पणियाँ

1 इंड एएस का कार्यान्वयन:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के तहत तैयार किए जाते हैं। तथापि, बैंक भा रि बैंक को अर्धवार्षिक आधार पर प्रोफार्मा इंड-एएस के रूप में वित्तीय विवरण पहले की तरह प्रस्तुत करना जारी रखेगा जैसाकि भा.रि. बैंक के 15 मई, 2019 के पत्र में सूचित किया गया है। वर्तमान में, सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणियों को इंड-एएस वित्तीय विवरणियों में रूपांतरित करने के लिए एक्सेल-शीट का उपयोग कर रहा है। बैंक ने उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार 30 सितंबर, 2019 तक भा रि बैंक को वित्तीय विवरणों के रूप में आईजीएएपी परिवर्तित प्रोफार्मा इंड-एस पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2.1 लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आय पर कर के लिए लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹19,43,10,130 की राशि को मान्यता दी है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹24,18,96,000 थी)।

2.2 31 मार्च, 2021 को आस्थगित कर आस्तियों /(देयताओं) के अलग-अलग आँकड़ें:

(राशि ₹ में)

समय-अंतर		मार्च 31, 2021 आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	मार्च 31, 2020 आस्थगित कर आस्ति /(देयता)
क)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	63,32,997	37,17,630
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	(3,71,54,81,342)	(3,52,02,16,577)
ग)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	46,46,70,676	1,20,50,72,585
घ)	भारत सरकार बांडों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का परिशोधन	(1,06,49,427)	(2,12,98,854)
ङ)	खातों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान	54,95,443	1,63,22,587
च)	अग्रनीत दीर्घकालीन पूँजी हानि	-	-
छ)	गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	-	-
ज)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,78,48,23,976	1,64,85,24,603
झ)	अन्य	64,38,85,092	65,26,45,311
	निवल आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	**17,90,77,415**	**(1,52,32,715)**

3 आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
(i)	वर्तमान आयकर प्रावधान	7,68,66,09,000	5,18,46,80,000
(ii)	पिछले वर्षों का कम /(अधिक) आयकर प्रावधान	-	(99,73,122)

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है

4 अनुसूची XI में उल्लेख की गई आकस्मिक देयताएँ

₹5,06,41,82,735 (गत वर्ष ₹5,74,27,63,852) की आकस्मिक देयताएँ आयकर /सेवाकर / सिडबी के विरुद्ध दायर विधिक मामलों से संबंधित हैं। यह बैंक द्वारा विवादित है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, इसके लिए प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹2,39,54,59,323 (गत वर्ष ₹173,22,02,927) की राशि शामिल है, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर की गई अपील से संबंधित है।

5 अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
a)	अप्रतिभूत बांड	1,70,87,50,00,000	1,75,62,50,00,000

6 अनुसूची x में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं

(राशि ₹ में)

	विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क)	आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	4,23,13,364	8,46,26,725
ख)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - जमा पत्र	1,64,39,75,891	4,72,11,42,319
ग)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र	24,13,15,527	67,03,00,288
घ)	अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	1,48,48,742	4,83,05,739
	योग	**1,94,24,53,524**	**5,52,43,75,071**

7 ब्याज व वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क)	उधारियों पर ब्याज	15,86,39,50,186	21,44,36,98,531
ख)	जमा पर ब्याज	45,38,88,60,026	51,17,75,96,026
ग)	वित्तीय प्रभार	4,17,59,54,676	4,59,92,92,636
	योग	**65,42,87,64,888**	**77,22,05,87,193**

(राशि ₹ में)

8

	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
गैर प्रावधान किए गए पूँजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर)	75,66,907	21,02,888

9 अनुसूची IX में परिसर के अंतर्गत परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 (गत वर्ष ₹11,06,68,896) का अग्रिम तथा निर्माणाधीन पूँजी कार्य के प्रति ₹75,66,907 (गत वर्ष ₹21,02,888) की राशि शामिल है। परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 का अग्रिम कार्यालय परिसर की अधिप्राप्ति के लिए अदा किया गया था, जिससे संबंधित प्रस्ताव बाद में परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण निरस्त कर दिया गया। बैंक संबंधित एजेंसी से उक्त राशि की वापसी के लिए पत्राचार कर रहा है। मामला राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ उठाया गया है, तथापि, वित्त वर्ष 2020 में इस राशि के प्रति ₹11,06,68,896 के संपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है।

10 जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन -जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। अधिसूचित दर पर लागू ब्याज को इस ईआरएफएफ खाते में जमा किया जाता है और अनुबंधित दर पर जाइका को देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इसके अलावा, ईआरएफएफ खाते में आरंभिक शेषराशि पर निर्धारित दर से अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि का परिकलन किया जाता है। भारत सरकार से अनुमोदन के बाद बैंक ने जेआईसीए लाइन V के तहत पूरे बकाया का मई 2020 में पूर्व भुगतान कर दिया था। पूर्व भुगतान को समायोजित करने के बाद, ईआरएफएफ-जाइका V खाते में ₹517.86 करोड़ का ऋण अधिशेष था जिसे अब बहियों में अग्रनीत करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए इसे भारत सरकार के अनुमोदन से हटा दिया गया था। इस राशि को 'अनुसूची XIII में अन्य आय' के तहत शामिल किया गया है।

11 जाइका IV ऋण के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹1,30,82,66,654 (पिछले वर्ष ₹1,74,43,55,536) के उधार को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रुपये मूल्य में अग्रेनीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई (आईएनआर में मुद्रा-विनिमय के उपरांत समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2021 को शेष ₹1,05,25,55,521 (पिछले वर्ष ₹161,64,60,277) हैं।

12 बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की । यह दीर्घकालिक और उतरदायित्व पूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपए में ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपए में निधि जारी की है, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो । तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक 46.95 मिलियन अमेरिकी डालर (₹486.47 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष 49.43 मिलियन अमेरिकी डालर (₹510.25 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा निहित देयता का बचाव परस्पर लेनदेन की मुद्रा में ब्याजदर की अदलाबदली के माध्यम से किया गया है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियाँ' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

13 (क) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹310 करोड़ की आकांक्षा निधि (ऐस्पायर फंड) का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों एवं क्षेत्रों से संबंधित स्टार्ट-अप/ नए उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन-पूर्व वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2021 तक निधि में शेष राशि ₹2,72,83,53,833 (गत वर्ष ₹283,15,39,259) रही।

ख) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹14,61,29,44,000 सिडबी को दिए हैं तथा निधियों की निधि के अंतर्गत अतिरिक प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि को प्रतिबद्धता जारी रखे। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2021 तक निधि में शेष राशि ₹1,69,55,48,687 (पिछले वर्ष ₹157,78,06,412) रही।

ग) उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उनकी स्थापना और समृद्धि के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष स्थापित करेगी। निधि, निधियों की निधि के रूप में होगा। इस मॉडल में, निधि सीधे स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश नहीं की जाएगी, बल्कि इसे सेबी द्वारा अनुमोदित निधि में प्रतिभागिता करनी होगी। निधियों का प्रबंध पेशेवर रूप से सिडबी, निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹15 करोड़ की राशि जारी की है। ये निवेश (उ.प्र. स्टार्टअप निधि में से) सिडबी द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखे जाएंगे। उ.प्र. स्टार्टअप निधि का निधि शेष, निवेश को घटाकर तुलनपत्र में "अन्य देनदारियों" के तहत समूहीकृत किया गया है और सभी लाभ/हानि/आय/व्यय निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ₹13,55,51,948 (पिछले वर्ष शून्य) है।

14 बैंक ने कुल मिलाकर ₹30,32,82,00,000 के अंकित मूल्य (बही मूल्य ₹30,00,18,54,173) [पिछले साल ₹497,82,00,000 (बही मूल्य ₹491,62,54,874)] की सरकारी प्रतिभूतियां तृतीय पक्ष रेपो संव्यवहार एवं निपटान (टीआरईपीएस) के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बंधक रखी है।

15 बचाव (हेजिंग) रणनीति के एक हिस्से के रूप में, बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा हैं और इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों (जमाराशियों) के एवज में भारतीय रुपये में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया है। इन ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत 31 मार्च, 2021 को बकाया शेष राशि ₹5,79,16,994 (जमा) (पिछले वर्ष ₹11,35,47,446) रही।

16 आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2021 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹1,10,10,79,766 (गत वर्ष ₹115,34,15,466) है।

17 कर्मचारी लाभ

"कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:

(क) सुपरिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित की हैं

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	7,90,27,233	8,01,88,984
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	2,69,44,564	2,47,85,687

(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के जरिये किया जाता है।

(₹ करोड़)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्व 2021	वित्व 2020	वित्व 2021	वित्व 2020
1. धारणाएँ				
भुनाई दर	6.85%	7.00%	6.35%	7.00%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.85%	7.00%	6.35%	7.00%
वेतन बढ़ोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

(₹ करोड़)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
2. पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)				
वर्ष के आरंभ में देयता	529.88	439.65	99.64	91.36
ब्याज लागत	30.78	34.20	6.54	6.63
वर्तमान सेवा लागत	14.92	13.79	5.68	5.18
पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(देयता अंतरण आगत)	0.00	0.00	0.00	0.00
(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	(32.86)	(35.02)	(9.75)	(11.07)
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	10.78	77.26	4.59	7.54
वर्ष के अंत में देयता	**553.50**	**529.88**	**106.70**	**99.64**
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	33.96	33.28	7.24	8.06
अंशदान	32.86	35.02	0.22	0.09
अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	(32.86)	(35.02)	(9.75)	(11.07)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(1.15)	25.18	(0.13)	0.09
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**501.50**	**468.69**	**105.73**	**108.15**
4. बीमांकिक लाभ (हानि) निर्धारण की तालिका				
अवधि के दायित्व के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि	10.78	77.26	4.59	7.54
अवधि की आस्तियों के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	1.15	(25.18)	0.13	(0.09)
आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि)	**11.93**	**52.08**	**4.72**	**7.45**
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	33.96	33.28	7.24	8.06
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(1.15)	25.18	(0.13)	0.09
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**32.81**	**58.46**	**7.11**	**8.15**
6. तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि				
वर्ष के अंत में देयता	(553.50)	(529.88)	(106.70)	(99.64)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	501.50	468.69	105.73	108.15
अंतर	(52.00)	(61.19)	(0.97)	8.51
वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	**(52.00)**	**(61.19)**	**(0.97)**	**8.51**

(₹ करोड़)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
चालू सेवा लागत	14.92	13.79	5.68	5.18
ब्याज लागत	30.78	34.20	6.54	6.63
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(33.96)	(33.28)	(7.24)	(8.06)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) /हानि	11.93	52.08	4.72	7.45
लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	**23.67**	**66.79**	**9.70**	**11.20**
8. तुलनपत्र समाधान				
आरंभिक निवल देयता	61.19	29.42	(8.51)	(19.62)
यथोक्त व्यय	23.67	66.79	9.70	11.20
नियोक्ता का अंशदान	(32.86)	(35.02)	(0.22)	(0.09)
तुलनपत्र में निर्धारित राशि	**52.00**	**61.19**	**0.97**	**(8.51)**

9. अन्य विवरण

कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है।

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	501.50	468.69	105.73	108.15
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**501.50**	**468.69**	**105.73**	**108.15**

11. अनुभव समायोजन

	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017
योजनागत देयता (लाभ) / हानि पर	(1.14)	46.87	(22.03)	66.81	(5.53)	(0.43)	3.28	(19.71)	10.18	(7.91)
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	(1.15)	25.17	(2.32)	0.32	0.58	0.13	(0.09)	(0.35)	(0.10)	0.29

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियों को लाभ -हानि खाते में निम्नांकित रूप से प्रभारित किया गया है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	25.26	23.43
2	रुग्ण अवकाश	0.34	(4.91)
3	पुनर्स्थापन व्यय	(0.29)	0.12
4	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ	4.16	10.50

18 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20):

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तुनूकृत (डायल्यूटेड) अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर, मूल अर्जन का परिकलन वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात् शुद्ध लाभ को विभाजित करके किया जाता है। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या संविदागत ईक्विटी शेयर जारी कर निष्पादन या रूपांतरण किया गया हो। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा तुनूकृत किए जाने योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	23,98,27,69,672	23,14,52,18,073
प्रति शेयर ₹10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन (₹)	45.09	43.51

* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई तनूकृत संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं*

19 लेखाबही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) देयता के रूप में अनुसूची V में गिना जाएगा

20 प्रबंधतंत्र की राय में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।

21 लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2017 से अपेक्षित है।

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2021	वि व 2020
	बकाया परिश्रामिक / प्रोत्साहन ₹	बकाया परिश्रामिक / प्रोत्साहन ₹
आरंभ शेष	**76,00,00,000**	**34,00,00,000**
जोड़े:		
बकाया वेतन	31,63,00,000	42,00,00,000
प्रोत्साहन	-	-
उपयोग		
पुनरांकन	-	-
अंतिम शेष	**1,07,63,00,000**	**76,00,00,000**

22 बैंक ने अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2021 तक ₹0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹0.07 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुसूची V में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान में शामिल किया गया है।

23 निरंतर पालन की जा रही प्रथा के अनुसार, वेंचर पूँजी निधियों के मोचन का लेखांकन वेंचर पूँजी निधियों से प्राप्त वितरण-पत्र के अनुसार किया जाता है, चाहे अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोजन नीति कुछ भी रही हो। वेंचर पूँजी निधियों के यूनिटों /शेयरों में निवेश पुष्टि /समाधान के अध्यधीन होता है।

24 निवेशकों की शिकायतें:

यथा 1 अप्रैल 2020 तक बैंक के पास निवेशकों की कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान निवेशकों से "22" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "22" शिकायतों (01 अप्रैल, 2020 को लंबित शिकायत सहित) का निपटारा किया गया। इस प्रकार, यथा 31 मार्च 2021 तक कोई शिकायत निपटान हेतु लंबित नहीं है।

25 एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

जैसा कि 18 अप्रैल, 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 और 1 अप्रैल, 2019 के डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19 के तहत अपेक्षित है। 'आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन', वित्त वर्ष 2020 के लिए आरबीआई द्वारा देखे गए 'सकल अनर्जक अस्ति और प्रावधान' में कोई अंतर नहीं है।

26 एक उधारकर्ता के संबंध में, जो अन्यथा अनर्जक अस्ति बन गया है, लेकिन माननीय एनसीएलटी के आदेश के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंक ने 'मानक' के तहत ₹925.84 करोड़ के पूरे बकाया पर ₹277.75 करोड़ का प्रावधान किया है। संपत्ति प्रावधान' और अप्राप्त ब्याज आय को भी मान्यता नहीं दी है।

27 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार तथा उक्त परिपत्र में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में, योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते निम्नवत् हैं:

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
743	703.01

28 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण रूपरेखा:

i) दबावग्रस्त आस्ति के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के अनुसार बैंक ने जिन मामलों में समाधान योजना (आरपी)लागू किया है, वह शून्य है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार "कोविड19 विनियामक पैकेज - समाधान समय की समीक्षा, दबावग्रस्त आस्ति के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत 'शून्य' है।

ii) "कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, जहां बैंक ने समाधान योजना लागू की है, 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त परिपत्र के प्रारूप-ए में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रकटीकरण, इस प्रकार है:

उधारकर्ता का स्वरूप	(क) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (क) में उल्लिखित खातों में एक्सपोजर में	(ग) (ख) में से, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में में परिवर्तित किया गया था	(घ) अतिरिक्त मंजूर धनराशि, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(ङ) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
व्यक्तिगत ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति*	7 खाते (एक ही उधारकर्ता के हैं)	17.30	0	1.55 (एफ़आईटीएल)	3.46
किन एमएसएमई इकाइयों में से है	7 खाते (एक ही उधारकर्ता के हैं)	17.30	0	1.55 (एफ़आईटीएल)	3.46
अन्य					
योग	7 खाते (एक ही उधारकर्ता के हैं)7	17.30	0	1.55 (एफ़आईटीएल)	3.46

* दिवाला और शोधन असमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए अनुसार

29 भारत में वर्तमान "दूसरी लहर" सहित कोविड 19 की वैश्विक महामारी, बैंक के परिचालन को किस सीमा तक प्रभावित करेगी और आस्ति की गुणवत्ता भविष्य के विकास पर निर्भर करेगी, जो अत्यधिक अनिश्चित है।

30 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर ₹174 करोड़ के अतिरिक्त मानक संपत्ति प्रावधान किए हैं, जिन्हें इसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था।

31 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कोविड-19 नियामक पैकेजों के अनुसार, बैंक ने अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी किश्तों के पुनर्भुगतान पर स्थगन की पेशकश की और / या ब्याज, जैसा लागू हो, 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच मानक के रूप में वर्गीकृत सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए, भले ही 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय हो। ऐसे खातों के संबंध में जिन्हें अधिस्थगन प्रदान किया गया था, आस्ति वर्गीकरण अधिस्थगन अवधि के दौरान गतिरोध बना रहा। 17 अप्रैल, 2020 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

विवरण	₹ करोड़
एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था, परिपत्र के अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार (29 फरवरी, 2020 तक)	620.66
संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है (30 सितंबर, 2020 तक की स्थिति)	53.47
परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार किए गए प्रावधान	27.99
परिपत्र के अनुच्छेद 6 के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक के अवशिष्ट प्रावधान	-

32 "माननीय सुप्रीम कोर्ट के 03 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के अनुसार, बैंक ने 31 अगस्त, 2020 के बाद एनपीए के रूप में अग्रिमों से संबंधित आईआरएसी पर आरबीआई प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्ति नहीं होने वाले किसी भी खाते को वर्गीकृत नहीं किया। मामले का निपटान लंबित होने के कारण, बैंक ने विवेक के रूप में इन खातों के संबंध में एक आकस्मिक प्रावधान किया था।

अनर्जक आस्ति के रूप में खातों को घोषित नहीं करने के लिए दिया गया अंतरिम आदेश 23 मार्च, 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लघु उद्योग औद्योगिक निर्माता संघ बनाम यूओआई और अन्य के मामले में खाली हो गया था। और अन्य जुड़े मामले। इस संबंध में जारी आरबीआई परिपत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2021 के पैराग्राफ 5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्तमान आरबीआई निर्देशों / आईआरएसी मानदंडों के अनुसार उधारकर्ता खातों के आस्ति वर्गीकरण को जारी रखा है।

33 आरबीआई के 07 अप्रैल, 2021 के परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं को 'ब्याज पर ब्याज' वापस/समायोजित करेगा, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था, भले ही अधिस्थगन पूरी तरह से किया गया हो या नहीं या आंशिक रूप से लिया गया है या नहीं। तदनुसार, ऐसे 'ब्याज पर ब्याज' की राशि की गणना के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार ऐसे उधारकर्ताओं को वापस/समायोजित की जाने वाली ₹4.72 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि में प्रभार के रूप में मान्यता दी गई है।

34 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ़) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्ररूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसाईडीए एफ अधिसूचित नहीं किया गया है, सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

35 बैंक के पास मुख्य रूप से व्युत्पन्न अनुबंधों की प्रकृति के दीर्घकालिक अनुबंध हैं जिनका मूल्यांकन वास्तविक नुकसान के लिए किया जाता है। वर्ष के अंत में, बैंक ने खाते की किताबों में ऐसे दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक नुकसान के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रावधान की समीक्षा की और पर्याप्त प्रावधान दर्ज किया।

36 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो और पुन्नसमूहित किया गया है।

अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1 पूंजी पर्याप्तता

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	21,021.12	18,366.02
iv)	टियर 2 पूंजी	0.00	0.00
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	21,021.12	18,366.02
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	76,473.15	68,996.21
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	27.49%	26.62%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	27.49%	26.62%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	उगाही गई ईक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) सतत ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	वर्धित टियर 2 पूंजी राशि जो	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* चूँकि बासेल III नहीं लागू है अत: आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2 निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
मानक आस्तियों (संचयी) पर प्रावधान	1,106.49	655.01

(ख) चल प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
चल प्रावधान खाते में अथशेष	1,099.96	1,348.53
लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	0.00	248.57*
चल प्रावधान खाते में इतिशेष	1,099.96	1,099.96

* राशि का उपयोग, चल प्रावधान पर बैंक की बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों/ अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए किया गया

3 आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

क) अनर्जक अग्रिम

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक आस्ति (%)	**0.12%**	**0.40%**
(ii) अनर्जक आस्ति की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	1,040.84	867.91
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	135.11	871.56
(ग) वर्ष के दौरान कमी	893.64	698.63
(घ) इति शेष	282.31	1,040.84
(iii) निवल अनर्जक आस्ति की प्रगति*		
(क) अथशेष	658.64	292.55
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(354.78)	445.77
(ग) वर्ष के दौरान कमी	118.61	79.68
(घ) इति शेष	185.25	658.64
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	382.19	575.35
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	489.89	429.11
(ग) वर्ष के दौरान कमी	775.03	622.27
(घ) इति शेष	97.05	382.19

*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) निवल निवेश का निवल अनर्जक निवेश (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	343.62	1,292.17
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.00	0.01
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	948.56
(घ) इतिशेष	**344.62**	**343.62**
(iii) निवल अनर्जक निवेश में परिवर्तन		
(क) अथशेष	0.00	708.44
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	708.44
(घ) इतिशेष	**0.00**	**0.00**
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	343.62	583.73
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.00	708.45
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	948.56
(घ) इतिशेष	**344.62**	**343.62**

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	**0.11%**	**0.37%**
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	1,384.46	2,160.08
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	136.11	871.57
(ग) वर्ष के दौरान कमी	893.64	1,647.19
(घ) इतिशेष	**626.93**	**1,384.46**
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	658.64	1,000.99
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(354.78)	445.77
(ग) वर्ष के दौरान कमी	118.61	788.12
(घ) इतिशेष	**185.25**	**658.64**
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	725.82	1,159.09
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	490.89	1,137.56
(ग) वर्ष के दौरान कमी	775.03	1,570.83
(घ) इतिशेष	**441.68**	**725.82**

3 (घ) पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

[₹ करोड़]

क्र	पुनर्संरचित प्रकार →		एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	15	10	14	-	**39**	15	10	14	-	**39**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	42.14	46.63	48.32	-	**137.09**	42.14	46.63	48.32	-	**137.09**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	8	7	1	-	**16**	8	7	1	-	**16**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	43.53	20.82	4.59	-	**68.94**	43.53	20.82	4.59	-	**68.94**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	1.09	-	-	**1.09**	-	1.09	-	-	**1.09**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	1	(1)	-	-	-	1	(1)	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	1.83	(1.83)	-	-	-	1.83	(1.83)	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर वित्त के अंत में उच्चतर प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार नहीं है और इसलिए उन्हें अगले वित्त के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या	-				-	(8)				**(8)**	(8)				**(8)**
		बकाया राशि	-				-	(34.20)				**(34.20)**	(34.20)				**(34.20)**
		उस पर किए गया प्रावधान	-				-	(0.01)				**(0.01)**	(0.01)				**(0.01)**
5	वित्त के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	(2)	(5)	7	-	-	(2)	(5)	7	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(1.59)	(33.29)	34.88	-	-	(1.59)	(33.29)	34.88	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	(0.01)	(2.44)	2.45	-	-	(0.01)	(2.44)	2.45	-	-
6	वित्त के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टेखाते में डालना#	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	(4)	(1)	(11)	-	**(16)**	(4)	(1)	(11)	-	**(16)**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(6.85)	(1.50)	(12.10)	-	**(20.45)**	(6.85)	(1.50)	(12.10)	-	**(20.45)**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	(0.16)	(0.05)	(2.05)	-	**(2.26)**	(0.16)	(0.05)	(2.05)	-	**(2.26)**
7	31 मार्च को समाप्त वित्त को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या) *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	10	10	11	-	**31**	10	10	11	-	**31**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	44.86	30.83	75.69	-	**151.38**	44.86	30.83	75.69	-	**151.38**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	0.38	0.63	0.63	-	**1.64**	0.38	0.63	0.63	-	**1.64**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)

पुनर्संरचित खातों की कमी को शामिल कराते हुए

(ङ) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	1,040.84	867.91
वर्ष के दौरान (नए अनर्जक आस्तियां) परिवर्धन	135.11	871.55
उप-योग (क)	**1,175.95**	**1,739.46**
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	20.04	50.90
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	112.98	88.43
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टा खाता	760.62	558.18
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	-	1.11
उप जोड़ (ख)	**893.64**	**698.62**
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क- ख)	**282.31**	**1,040.84**

(च) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बट्टे खाते में अथशेष	2,007.01	1,563.29
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	760.62	558.18
उप-योग (क)	**2,767.63**	**2,121.47**
घटाएं: वास्तविक बट्टे खाते	0.00	12.24
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछलें तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में से की गई वसूली	142.75	102.22
उप-योग (ख)	**142.75**	**114.46**
31 मार्च को इति शेष (क-ख)	**2,624.88**	**2,007.01**

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**19,517.54**	**11,466.32**
(क) भारत में	19,517.54	11,466.32
(ख) भारत से बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**364.07**	**348.48**
(क) भारत में	364.07	348.48
(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	**19,153.47**	**11,117.83**
(क) भारत में	19,153.47	11,117.83
(ख) भारत से बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	**4.83**	**5.16**
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14.62	-
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	-	0.33
(vi) इति शेष	**19.45**	**4.83**

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	15.62	703.89
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	434.14@	118.50#
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	749.23	493.28
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	465.48$	130.59$

पुनर्गठन प्रावधान का शुद्ध @

चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

(ञ) प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)

	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)*	93.24%	78.35%

* पीसीआर के परिकलन के समय चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है

(त) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

	वित्त वर्ष 2020-21
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	5
धोखाधड़ी में शामिल धनराशि (₹ करोड़)	323.54
वर्ष के अंत में वसूली /बट्टे खाते /अप्राप्त ब्याज में धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	285.28
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (₹ करोड़)	183.60
उक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (₹ करोड़)	285.28
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	-

4 निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन

(क) रेपों संव्यवहार

(₹ करोड़)

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2021 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0	1,024.92	59.11	499.95
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0	17,677.11	5,132.33	4,054.99
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2020 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0	529.93	71.52	474.98
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0	10,795.99	2,435.11	50
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ताओं की संघटना विषयक खुलासे

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी नीचे के स्तर की धारित प्रतिभूतियाँ	बगैर रेटिंग धारित प्रतिभूति	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	631.89	438.44	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाएं	250.56	147.67	-	78.55	103.00
(iii) बैंक	8,093.98	10.00	-	103.50	103.50
(iv) निजी कार्पोरेट्स	394.66	175.80	-	364.05	355.16
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	4,770.27	1,019.46	-	1,019.46	4,770.27
(vii) मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(364.07)	-	-	-	-
जोड़	**15,528.34**	**3,542.42**	**-**	**3,316.61**	**7,082.98**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में/ से बाहर निवेशों का कोई अंतरण नहीं हुआ

5 खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के उद्देश्य से प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचित कंपनियों को बेची गईं आस्तियाँ

(i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) खातों की संख्या	शून्य	1
(ii) एस सी /आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	शून्य	0.56#
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	3.72 (नकद-0.56)
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	5.24
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	5.80

केवल नकदी घटक को ही विचार में लिया गया है

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) एआईएफआई द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि	0.00	0.00
कुल	**0.27**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी /बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
1. बेंचे गए खातों की संख्या	शून्य	1
2. सकल बकाया	शून्य	6.77
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	3.72 (नकद-0.56)

6 परिचालन परिणाम

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	5.67	6.47
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.52	0.63
(iii) (प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	2.25	2.21
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.74	1.65
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.37	2.21

7 ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजारगत जोखिम

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	457.59	459.43
(ii) शेयरों / बांडों /ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिया गया हामीदारी वादा	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोजर	1,136.61	1,541.26
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,594.20**	**2,000.69**

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

प्रत्येक देश के साथ सिडबी का निवल निधिगत एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% के भीतर है और इसीलिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार देश के जोखिम के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उनका प्रतिशत

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2019-20	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	9.20%	84.16%	9.32%	95.20%
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	61.24%	560.26%	68.47%	699.18%
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

(iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत

(₹ करोड़)

उद्योग के स्वरूप का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2019-20	
	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	977.27	0.63	865.67	0.52
ऑटो अनुषंगी	694.96	0.44	602.87	0.36
प्लास्टिक मोल्ड उत्पाद	537.01	0.34	439.20	0.26
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	515.72	0.33	473.29	0.29
वस्त्र उत्पाद	475.59	0.30	338.89	0.20

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	1,33,870.69	1,24,109.00
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	81.88%	76.99%

(ii) ऋण जोखिम का संकेद्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,17,479.65	1,24,205.94
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	75.15%	74.91%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,17,855.32	1,28,411.56
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	68.99%	69.99%

iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21			वित्त वर्ष 2019-20		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,43,365.40	282.31	0.20%	1,53,362.14	340.45	0.22%
	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	31.92	-	-	112.92	-	-
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,31,632.10	-	-	1,43,119.72	-	-
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	11,701.38	282.31	2.41%	10,129.50	340.45	3.36%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	1,672.32	-	0.00%	1,821.80	0.80	0.04%
III.	अन्य *	11,292.14	-	0.00%	10,619.83	699.59	6.59%
	योग (I+II+III)	**1,56,329.86**	**282.31**	**0.18%**	**1,65,803.77**	**1,040.84**	**0.63%**

* गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

8 व्युत्पन्न

(क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	215.67	256.84
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	9.73	12.93
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक-प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	10.97	14.46
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	9.73	12.93

31 मार्च, 2021 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 215,66,65,938.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

31 मार्च, 2020 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	आईएनआर 256,84,00,022.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एमटीएम न होकर केवल रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती है. व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है. व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2019-20	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	5,384.68	215.67	6,467.78	256.84
	(i) बचाव के लिए	5,384.68	215.67	6,467.78	256.84
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	360.81	9.73	645.81	12.93
	(i) आस्ति (+)	423.85	9.73	686.73	12.93
	(ii) देयता (-)	(63.04)	-	(40.92)	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	635.21	10.96	999.34	14.46
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	86.83	(4.75)	131.06	(7.87)
	(i) बचाव व्युत्पन्नियों पर	86.83	(4.75)	131.06	(7.87)
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पी वी 01				
	(i) बचाव पर	467.38/1.09	(4.75)/(7.99)	186.29/131.05	(10.48)/(8.93)
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9 एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च, 2020 को एलओसी विषयक बकाया		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2021 को एलओसी विषयक बकाया	
एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
	-	-	-		-	-	-

10 आस्ति-देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	16	12	5,725	18,298	15,610	83,947	512	366	1,24,486
अग्रिम	13,523	2,409	21,914	14,802	36,387	62,438	4,426	431	1,56,330
निवेश	3,552	3,238	4,033	8,016	5,505	402	243	3,515	28,504
उधारियां	5,320	1,050	8,678	1,968	8,800	10,128	1,963	1,352	39,259
विदेशी मुद्रा आस्तियां	9	0	1,133	648	683	2,047	2,464	19	7,003
विदेशी मुद्रा देयताएं	7	0	557	107	639	2,282	1,861	1,062	6,515

11 आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12 व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	15.86	16.00
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.74	1.65
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.37	2.21

13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन

आरबीआई द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है

14 ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3	10
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	357	216
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	353	223
3(i)	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	27	11
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	7	3

2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात् मद विशेष संबंधी शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	चालू वर्ष				
अन्य	3	288	57.38	7	4
ऋण और अग्रिम	-	59	126.92	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	10	42.86	-	-
	पिछला वर्ष				
अन्य	-	183	41.72	3	2
ऋण और अग्रिम	4	26	(29.73)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	6	7	(12.50)	-	-

आरबीआई ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी. सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था। इस प्रयोजन के लिए, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

15 प्रायोजित किये गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन-पत्रेतर आंकड़ा नहीं है

16 विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में वि व 2020-21 के दौरान 'अन्य आय में पूर्ववर्ती अवधि की आय ₹517,47,91,918 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹372,25,52,439] और अनुसूची XIV में वर्णित विव 2020-21 के लिए पूर्व के परिचालनगत व्यय (₹3,48,09,052) [पिछले वर्ष का व्यय (₹1,66,93,694)] शामिल है.

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अत: रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है. बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं. ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनवर्गीकृत किया गया है।

भाग क : व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)

	व्यवसाय खंड	समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	विवरण	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
1	**खंड राजस्व**	1,162	1,048	8,580	9,633	906	1,038	10,648	11,719
	असाधारण मदें							518	371
	योग							**11,166**	**12,090**
2	**खंड परिणाम**	190	165	2,391	2,832	276	(317)	2,857	2,680
	असाधारण मदें							518	371
	योग							**3,375**	**3,051**
	अविनिधानीय खर्चे							227	243
	परिचालन लाभ							**3,148**	**2,808**
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							750	493
	निवल लाभ							**2,398**	**2,315**
3	**अन्य सूचना**								
	खंड आस्तियां	11,678	10,121	1,46,141	1,57,312	33,116	17,675	1,90,935	1,85,108
	अविनिधानीय आस्तियां							1,387	2,431
	कुल आस्तियां							**1,92,322**	**1,87,539**
	खण्ड देयताएं	8,387	7,281	1,34,556	1,45,082	26,501	15,092	1,69,444	1,67,455
	अविनिधानीय देयताएं							1,884	1,377
	योग							**1,71,328**	**1,68,832**
	पूंजी /आरक्षितियाँ	3,261	2,848	11,414	12,078	6,319	3,781	20,994	18,707
	योग							**20,994**	**18,707**
	कुल देयताएं							**1,92,322**	**1,87,539**

भाग ख: भौगोलिक खंड - शून्य

(ग) लेखांकन मानक 18 - सबंधित पक्षकार प्रकटन

(₹ करोड़)

मदें /संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन क्रमियों के रिश्तेदार	योग
उधारियां #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	8.92	1.00	-	9.92
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	177.12	4.00	-	-	181.12
जमा स्थान #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अग्रिम #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	1,751.50	36.10	-	-	1,787.60
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	1,751.50	36.10	-	-	1,787.60
अनिधिकृत वचनबद्धताएं#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	2.70	0.11	0.02	-	2.83
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
सेवा देना *	-	7.74	0.90	-	-	8.64
सेवाओं की प्राप्ति *	-	0.90	0.07	-	-	0.97
प्रबंधन संविदाएं*	-	-	-	0.92	-	0.92

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है ।

* करारगत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं

** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17 अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएँ

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है. बीमांकिक लाभ /हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान - बेंगलुरु
दिनांक: 25 मई, 2021

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2020		विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2021
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
28,07,80,28,951		लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		31,47,50,68,542
		निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
18,27,17,393		मूल्यह्रास	24,03,93,728	
7,03,89,36,030		निवेश में निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	15,61,67,178	
3,39,32,25,949		किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	9,69,17,38,961	
(3,98,46,25,620)		निवेश की बिक्री से लाभ (निवल)	(1,25,88,60,175)	
(44,18,584)		स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(7,63,220)	
(48,48,52,951)		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(4,53,97,66,761)	4,28,89,09,711
34,21,90,11,168		**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**35,76,39,78,253**
		(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		
		निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन :		
9,07,18,25,569		चालू आस्तियां	10,85,76,16,887	
(19,77,01,32,561)		चालू देयताएँ	(6,94,89,88,288)	
3,96,15,78,214		विनिमय बिल	1,39,26,20,479	
(2,93,93,81,01,120)		ऋण एवं अग्रिम	93,34,65,07,455	
(39,96,40,70,330)		बाण्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	(1,66,13,19,29,316)	
3,40,49,16,89,558		प्राप्त जमाएँ	1,84,40,47,31,854	
(14,72,10,670)				1,16,92,05,59,071
34,07,18,00,498				1,52,68,45,37,324
(5,32,52,53,205)		कर अदायगी	(4,57,94,32,771)	(4,57,94,32,771)
28,74,65,47,293		**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**1,48,10,51,04,553**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(19,13,21,393)		स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(14,57,41,774)	
2,63,38,96,495		निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ शोधन	(1,54,33,87,55,349)	
48,48,52,951		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	4,53,97,66,761	
2,92,74,28,053		**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,49,94,47,30,362)**
	3.	**वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से प्राप्तियाँ	-	
(1,65,12,44,935)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	-	
(1,65,12,44,935)		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**	-	-
30,02,27,30,411	4.	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)**		**(1,83,96,25,809)**
50,91,53,32,885	5.	**अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**80,93,80,63,296**
80,93,80,63,296	6.	**अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**79,09,84,37,487**
		अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,16,569		हाथ में नकदी		6,54,935
36,21,00,890		बैंक में चालू खाते में अतिशेष		93,96,47,857
34,10,00,00,001		म्यूचुअल फ़ंड		37,50,81,24,592
46,47,53,45,836		जमा राशियाँ		40,65,00,10,103

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **बोरकर एंड मज़ूमदार**
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान - बेंगलुरु
दिनांक: 25 मई, 2021

परिशिष्ट-II

सिडबी के लाभ-हानि और नकदी प्रवाह विवरणी के साथ समेकित तुलन-पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" (इसके पश्चात बैंक अथवा धारक बैंक कहा जाएगा), इसकी सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और इसकी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर "समूह" कहलाता है) और सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2021 तक की संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है। इसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश ("समेकित वित्तीय विवरण") और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात 'समेकित वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक और सहयोगी संस्थाओं के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहायक और सहयोगी संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14(1) के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। समूह और उसके सहयोगियों के मामलों पर 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति व उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।

मंतव्य का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संपन्न की। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता संहिता के अनुसार उक्त समूह एवं उसके सहयोगियों से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारी धारणा है कि हमने लेखापरीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण विषय

I. हम बैंक के परिचालन और आस्ति गुणवत्ता पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के "अनुलग्नक I- अतिरिक्त नोट्स" के नोट संख्या 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित है।

II. हम 9 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के "संलग्नक I- अतिरिक्त नोट्स" के नोट संख्या 2 ए (7), 2 बी और 2 सी पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रबंधन के अनुसार निवेश की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त मामलों के हमारे मंतव्य में परिवर्तन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी प्रोफेशनल राय में 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में उपयोग किया गया और हम इन विषयों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले पर, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है जैसाकि हमारी लेखापरीक्षा ने इन मामले को संबोधित किया है।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों का विवरण

	लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारी लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषयों को कैसे संबोधित किया
	अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)	
(i)	अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को दिए गए पुनर्वित्त ऋण शामिल हैं; और प्रत्यक्ष ऋण, नकद उधार, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') ने बैंकों के लिए अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड' निर्धारित किए हैं, जिसमें कोविड-19 नियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में परिपत्र शामिल हैं।	अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आईआरएसीपी मानदंड) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न मौजूदा अनिश्चित आर्थिक वातावरण को देखते हुए अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए विनियमों द्वारा मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक कारकों दोनों को लागू करते हुए प्रावधान की आवश्यक मात्रा को पहचानने और निर्धारित करने के लिए निर्णय में बड़ी मात्रा में विवेक के उपयोग की आवश्यकता है।

अनर्जक आस्ति की पहचान और प्रावधानीकरण के महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान भारी गलत बयानों का कारक हो सकते हैं:

- आईआरएसीपी मानकों के अनुसार व उसके मानदंडों के अनुरूप गैर-निष्पादित आस्तियों की मान्यता की संपूर्णता और सामयिकता;
- ऋण एक्सपोजर, काल वृद्धि और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन;
- अनर्जक आस्तियों से अप्राप्त आय का उचित व्यूत्क्रमण।

साथ ही, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए विभिन्न कोविड-19 वैश्विक महामारी प्रतिबंधों के कारण, बैंक के कुछ उद्धागों / कार्यालयों और शाखाओं के परिसरों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर ऑडिट नहीं किया जा सका। तदनुसार, लेखापरीक्षा को दूरस्थ रूप से करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी।

अग्रिमों के वर्गीकरण के बाद से, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप होने वाले अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय का निर्धारण:

- उचित नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है और बैंक द्वारा महत्वपूर्ण स्तर पर पूर्वानुमान;
- बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;
- मूल रूप से बनाई गई योजना के अनुसार संबंधित व्यक्तिगत यात्राओं / शाखा कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से तरह से कवर नहीं किया जा सका;

हमने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषयों को कैसे संबोधित किया

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना।
- बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं संपन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:
  - i. एप्लिकेशन सिस्टम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण पर विचार किया जहां अग्रिमों को अभिलेखित किया जाता है।
  - ii. दबाव की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का बड़ी जमाराशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार।
  - iii. मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना
  - iv. ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेतक थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में डिफ़ॉल्ट की घटना हुई थी।
  - v. बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार करना।
  - vi. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच।

पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खातों के महत्व सहित कारकों के आधार पर यथा आस्ति वर्गीकरण तिथियों का, अप्राप्त ब्याज का व्यूत्क्रमण, उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण का नमूना आधार पर परीक्षण किया। हमने प्रमुख आगत कारकों पर विचार करने के बाद अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और उससे प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे मापन परिणाम की तुलना की।

जहां कहीं भी कोविड 19 वैश्विक महामारी के प्रतिबंधों के कारण शाखाओं तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, हमने डिजिटल माध्यम, ईमेल और बैंक के नेटवर्क पर सीबीएस और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तक दूरस्थ पहुँच के माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/रिपोर्ट/दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा को कवर करने के लिए अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया। इस सीमा तक, हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया संपन्न की गई, जिन्हें वर्तमान अवधि की लेखा परीक्षा करने और रिपोर्टिंग करने के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/फोन कॉल/ईमेल और इसी तरह के संचार शृंखलाओं का उपयोग करके संबंधित बैंक कर्मचारियों के साथ पूछताछ और चर्चा के माध्यम से और सबूत इकट्ठा करके, जहां प्रासंगिक हो, इन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा किया गया।

	लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारी लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषयों को कैसे संबोधित किया
(ii)	**निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधानीकरण (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)**	
	निवेश को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेश में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र और निर्देश अन्य बातों के साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का अनिर्धारण और अनर्जक निवेशों के प्रति प्रावधानीकरण को समाहित करते हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों के प्रत्येक संवर्ग (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई पर उद्धत दरों से, एनएसई, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से आंकड़ें / सूचना का संग्रह शामिल है। हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बुक के आधार पर ह्रासित मूल्यांकन हेतु प्रबंधन का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कुछ निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल प्रबंधन के निर्णय की वजह से निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।	भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण / प्रक्रियाएं परिपत्रों / निर्देशों में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और संबंधित प्रावधानीकरण / निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से- • हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्यूत्क्रमण और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण / मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा; • हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया • चालू निवेश के चयनित नमूने लेकर हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया; • हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप रखे जाने वाले प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और अनर्जक निवेश के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है;
(iii)	**वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('आईटी') प्रणाली और नियंत्रण**	
	बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में: • हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • बैंक के पास उचित समायावधि में चिन्हित किये गए एप्लिकेशन सिस्टम का एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर लेखापरीक्षण की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखा परीक्षा बैंक के अधिकारियों द्वारा उचित समायावधि में की जाती है। • हमने बाह्य सलाहकारों द्वारा किए गए एप्लिकेशन सिस्टम ऑडिट और शाखाओं में किए गए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की समीक्षा की है और उन पर भरोसा किया है।
(iv)	**प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV का नोट 10 और नोट 12)**	
	प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण /प्रक्रियाओं में यह शामिल था: • मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना; • विभिन्न कर प्राधिकरणों / न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	हमारी लेखापरीक्षा में इन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषयों को कैसे संबोधित किया
आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर-मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है। बैंक का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के तथ्यों, उनका अपना निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम, बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमांकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित डिस्काउंट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्त पोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। हमने उन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसमें कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उनके पूर्वानुमानों में निर्णय के संप्रयोग की आवश्यकता होती है।	• बैंक के कर-सलाहकारों के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी /कर-सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु के गुणावगुणों योग्यता का मूल्यांकन करना; • बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन; तथा • आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देनदारियों को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आयु अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बेंचमार्किंग मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई मान्यताओं का आकलन शामिल था। हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन, योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है। • समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के प्रति बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के पश्चात बैंक द्वारा हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या यह अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना के साथ संगत है या नहीं अथवा तथ्यात्मक रूप से मिथ्यकथन प्रतीत होता है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई तथ्यात्मक मिथ्याकथन किया गया है, तो हमें इस मामले को अभिशासन-प्रभारियों को सूचित करना होगा।

प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन-प्रभारियों का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास सामान्य विनियम, 2000, और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह के समेकित नकदी प्रवाह के बारे में सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं। समूह में शामिल संस्थाओं और उसके सहयोगियों का संबंधित प्रबंधन पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने, समूह की आस्तियों की सुरक्षा तथा कपट व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन व प्रयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय व प्राक्कलन करने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिचालन वाले ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के निर्धारण, कार्यान्वयन व उन्हें कायम रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें बैंक के प्रबंधन ने उपर्युक्त रूप में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया हो, और जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों, सच्ची तथा उचित स्थिति दर्शाते हों और कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश हुए तथ्यात्मक मिथ्याकथन से रहित हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक तथा समूह में शामिल संस्थाओं और इसके सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक-मंडल लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन समूह के समापन अथवा परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक व समूह में शामिल संस्थाओं तथा सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक-मंडल समूह की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा-परीक्षक-रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखापरीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम-

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो लेकिन प्रभावकारिता पर मंतव्य व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम समेकित वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर मंतव्य व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाएं जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। हम अपने लेखापरीक्षा मंतव्य के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारी उत्तरदायित्व को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन-प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन हमें ऐसे मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से रोकता नहीं है या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षित है व इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य विषय

I. इन समेकित वित्तीय परिणामों में बैंक के प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा देखी गई/लेखापरीक्षित, धारक बैंक की 32 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियाँ शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2021 तक के 95.52% अग्रिम, 99.52% जमा और धारक बैंक के 100% उधार शामिल हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.14%, जमा पर ब्याज व्यय का 99.34% और धारक बैंक के उधार पर ब्याज व्यय का 98.62% शामिल है। इन शाखाओं का चयन धारक बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने धारक बैंक की शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो

हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और बैंक के प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।

II. हमने उन दो सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में ₹56,48,13,230 की कुल आस्तियाँ, ₹12,80,94,170 का कुल राजस्व तथा ₹4,31,89,427 का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है और जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में रुपये के शुद्ध नुकसान में समूह का हिस्सा शामिल है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹12,21,69,927, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, तीन सहयोगी संस्थाओं के संबंध में जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों ने की है, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (दो) सहायक संस्थाओं और एक सहयोगी संस्था और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दो सहयोगी संस्थाओं से संबंधित रिपोर्टें प्रबन्धन ने हमें उपलब्ध कराई हैं। जहाँ तक समेकित वित्तीय विवरण में इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं से संबंधित राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, हमारा मंतव्य और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

III. हमने उस एक सहायक संस्था के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसकी 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में कुल आस्तियाँ ₹2,30,33,57,81,555 कुल राजस्व ₹10,05,49,44,000 तथा निवल नकारात्मक नकदी प्रवाह ₹40,75,09,93,455 दर्शाया गया है और जिसे समेकित विवरण में लिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में निवल हानि में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में ₹1,80,27,355 की निवल हानि का हिस्सा भी शामिल है। इसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है और यह तीन सहयोगी संस्था से संबंधित है, जिसके वित्तीय विवरणों की हमने लेखापरीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी है और इन्हें प्रबंधन ने हमें दिया है। जहाँ तक समेकित वित्तीय विवरण में इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं से संबंधित राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, हमारा मंतव्य पूर्णतया ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमने प्रबंधन के लिखित अभ्यावेदन पर भरोसा किया है कि इन सहायक और सहयोगी संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप रिपोर्ट की गई संख्याओं में किए जाने वाले परिवर्तनों / समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा।

IV. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की गई, दिनांक 15 मई, 2020 की रिपोर्ट द्वारा उन समेकित वित्तीय विवरणों पर उनकी राय अपरिवर्तित थी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मन्तव्य और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट में उपरोक्त मामलों के संबंध में और किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में कोई संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21, “समेकित वित्तीय विवरण”, लेखांकन मानक (एएस) 23, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन” के अनुरूप तैयार किया है।

हम सूचित करते हैं किः

i. हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ii. हमारी राय में, जहाँ तक हमने उक्त बहियों तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की जाँच की है, उससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विधितः उपयुक्त बही-खाते रखे गये हैं।

iii. इस रिपोर्ट में जिस समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है, वे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गयी लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

iv. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं. 101569W

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या. 133755
यूडीआईएन : 21133755AAAABX2637

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2021

समेकित तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2021

(राशि ₹ में)

	अनुसूचियाँ	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
पूँजी एवं देयताएँ			
पूँजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	2,15,99,74,22,124	1,90,99,72,09,992
जमा	III	14,43,64,76,71,085	12,28,46,64,39,231
उधार	IV	3,90,90,19,08,226	5,55,26,26,04,342
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	81,04,70,88,307	73,90,24,11,267
आस्थगित कर देयता		-	-
योग		**21,36,91,33,10,052**	**20,53,94,78,85,142**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	2,30,76,75,40,365	1,67,48,39,13,036
निवेश	VII	1,74,51,74,80,720	94,31,56,18,297
ऋण एवं अग्रिम	VIII	16,98,59,34,02,553	17,45,11,06,62,486
स्थिर आस्तियां	IX	2,78,11,70,106	2,87,28,92,360
अन्य आस्तियां	X	30,25,37,16,308	44,16,47,98,963
योग		**21,36,91,33,10,052**	**20,53,94,78,85,142**
आकस्मिक देयताएं	XI	59,50,61,36,098	76,13,98,91,761

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची XV) तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुबंध I)

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते **बोरकर & मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-
101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 25 मई, 2021

समेकित लाभ-हानि खाता

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

	अनुसूचियाँ	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
आय			
ब्याज एवं बट्टा	XII	1,12,14,30,74,986	1,21,19,65,15,276
अन्य आय	XIII	9,29,57,83,352	10,79,07,90,942
योग		**1,21,43,88,58,338**	**1,31,98,73,06,218**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		71,90,88,70,723	83,70,61,45,787
परिचालन व्यय	XIV	5,71,33,89,306	6,51,78,02,426
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		9,43,00,01,542	10,13,16,71,331
योग		**87,05,22,61,571**	**1,00,35,56,19,544**
कर-पूर्व लाभ		**34,38,65,96,767**	**31,63,16,86,674**
आयकर के लिए प्रावधान		7,82,66,84,203	6,25,50,50,250
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता]		33,54,64,587	(9,68,48,721)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा		14,89,71,485	2,48,98,992
कर-पश्चात लाभ		**26,07,54,76,492**	**25,44,85,86,153**
अग्रानीत लाभ		1,83,56,07,154	1,04,83,25,536
कुल लाभ/(हानि)		**27,91,10,83,646**	**26,49,69,11,689**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		22,50,12,00,000	23,60,00,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		80,00,00,000	55,00,00,000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		49,04,38,576	46,79,71,244
अन्य			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	33,59,018
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		4,10,00,000	3,00,00,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		1,06,38,44,062	-
लाभांश पर कर		-	99,74,273
अग्रनीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष		3,01,46,01,008	1,83,56,07,154
योग		**27,91,10,83,646**	**26,49,69,11,689**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन		49.02	47.84

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुसूची XV) और लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुलग्नक I)

उक्त अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते **बोरकर & मज़ूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 25 मई, 2021

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी एवं देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I : पूंजी	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
(क) प्राधिकृत पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से - 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से - 25,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी :		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- अधिमान शेयर पूंजी	-	-
योग	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**

(राशि ₹ में)

अनुसूची II : आरक्षितियाँ अधिशेष, निधियाँ	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) आरक्षितियां		
i) सामान्य आरक्षितियां		
- अथ शेष	1,50,99,47,28,207	1,27,39,01,55,390
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,50,12,00,000	23,60,45,72,817
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**1,73,49,59,28,207**	**1,50,99,47,28,207**
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथ शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**16,68,07,79,690**	**16,68,07,79,690**
iii) विशेष आरक्षितियां		
क) निवेश आरक्षिति		
- अथ शेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- अथ शेष	16,22,00,00,000	15,67,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	80,00,00,000	55,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**17,02,00,00,000**	**16,22,00,00,000**
ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षिति		
- अथ शेष	1,18,83,99,581	72,04,28,337
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	49,04,38,576	46,79,71,244
- वर्ष के दौरान उपयोग		
- अंतिम शेष	**1,67,88,38,157**	**1,18,83,99,581**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II : आरक्षितियाँ अधिशेष, निधियाँ	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
घ) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- अथ शेष	1,14,93,45,043	1,14,59,86,025
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	33,59,018
- वर्ष के दौरान उपयोग		-
- अंतिम शेष	**1,14,93,45,043**	**1,14,93,45,043**
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	**3,01,46,01,008**	**1,83,56,07,154**
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथ शेष	2,65,61,42,832	2,65,23,89,862
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	-	37,52,970
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,61,42,832**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- अथ शेष	25,22,07,485	24,74,30,617
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,10,00,000	3,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	1,14,20,298	2,52,23,132
- अंतिम शेष	**28,17,87,187**	**25,22,07,485**
ग) अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
योग	**2,15,99,74,22,124**	**1,90,99,72,09,992**

(राशि ₹ में)

अनुसूची III : जमा	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) सावधि जमा	**50,04,64,96,085**	**31,77,53,39,231**
ख) बैंको से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	11,26,05,11,50,000	9,39,05,30,50,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	8,02,35,25,000	7,02,35,25,000
ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	50,00,00,00,000	71,86,45,25,000
च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अंतराल के अंतर्गत	1,99,52,65,00,000	1,68,75,00,00,000
उप-योग (ख)	**13,93,60,11,75,000**	**11,96,69,11,00,000**
योग	**14,43,64,76,71,085**	**12,28,46,64,39,231**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV : उधारियां	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से	20,40,09,88,429	21,07,48,45,249
(भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)		
3. बॉण्ड एवं डिबैंचर	1,70,87,50,00,000	1,75,62,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	38,75,00,00,000	49,50,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र	42,85,00,00,000	1,97,12,87,66,800
- बैंकों से सावधि ऋण	48,14,20,83,006	14,36,35,43,399
- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
- अन्य	4,99,94,82,245	4,74,98,02,338
उप-योग (I)	**3,26,01,75,53,680**	**4,62,44,19,57,786**
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	7,92,50,08,344	11,60,28,09,154
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	20,87,89,58,963	34,07,23,44,393
(ग) आईएफएडी, रोम	1,10,10,79,766	1,15,34,15,466
(च) विश्व बैंक	33,21,79,18,293	43,46,01,15,739
(छ) अन्य	1,76,13,89,180	2,53,19,61,804
उप-योग (II)	**64,88,43,54,546**	**92,82,06,46,556**
योग (I&II)	**3,90,90,19,08,226**	**5,55,26,26,04,342**

(राशि ₹ में)

अनुसूची V : अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
उपचित ब्याज	22,14,73,99,407	28,57,11,85,566
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,26,55,18,260	3,09,97,41,738
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	13,50,36,000	62,60,20,000
कर्मचारियों के अन्य हित के लिए प्रावधान	2,50,67,34,898	1,94,40,37,449
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	11,65,00,62,425	6,91,08,26,929
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,06,38,44,062	-
निधियां - नवाकांक्षा निधि, स्टार्ट-अप हेतु निधियों की निधि, पीआरएफ, पीआरएसएफ इत्यादि	12,33,11,61,527	8,49,58,08,897
चल प्रावधान	10,99,96,00,000	10,99,96,00,000
अन्य (प्रावधान सहित)	15,41,03,68,962	11,71,78,27,922
योग	**81,04,70,88,307**	**73,90,24,11,267**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI : नकदी और बैंक अतिशेष	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,63,600	6,30,354
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	93,19,80,206	31,51,18,718
ii) अन्य निक्षेप खातों में	2,26,83,65,49,330	1,63,12,09,26,795
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	1,90,00,930	5,19,09,337
ii) अन्य निक्षेप खातों में	2,97,93,46,299	3,99,53,27,832
योग	**2,30,76,75,40,365**	**1,67,48,39,13,036**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII : निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	36,25,12,72,542	4,91,62,54,874
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	5,24,16,82,049	7,39,95,25,696
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	1,98,08,42,613	1,99,92,72,771
4. म्युच्युअल फंड	37,50,81,24,592	34,10,00,00,001
5. वाणिज्यिक पत्र	65,68,39,65,908	5,99,41,36,088
6. जमा प्रमाणपत्र	13,97,08,63,310	25,67,58,49,839
7. अन्य	-	
उप-योग (क)	**1,60,63,67,51,014**	**80,08,50,39,269**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,84,97,71,142	1,82,22,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	5,65,33,000	5,65,33,000
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	4,46,46,49,681	4,63,89,03,959
4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
5. उद्यम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	6,42,18,48,997	6,45,75,11,219
6. अन्य	1,08,79,26,886	1,25,53,59,708
उप-योग (ख)	**13,88,07,29,706**	**14,23,05,79,028**
योग (क+ख)	**1,74,51,74,80,720**	**94,31,56,18,297**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII : ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	14,31,27,54,73,388	14,95,23,02,04,547
- अल्प वित्त संस्थाएँ	26,99,06,19,241	29,33,28,48,488
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,24,28,41,94,906	1,20,61,81,13,099
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
उप-योग (क)	**15,82,55,02,87,535**	**16,45,18,11,66,134**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	1,15,81,08,75,592	98,66,91,14,926
- प्राप्य वित्त योजना	23,22,39,426	1,26,03,81,426
- भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (ख)	**1,16,04,31,15,018**	**99,92,94,96,352**
योग (क+ख)	**16,98,59,34,02,553**	**17,45,11,06,62,486**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX : स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. परिसर	2,75,92,83,828	2,83,87,18,309
2. अन्य	2,18,86,278	3,41,74,051
योग	**2,78,11,70,106**	**2,87,28,92,360**

(राशि ₹ में)

अनुसूची X : अन्य आस्तियां:	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
उपचित ब्याज	18,48,06,59,934	21,60,56,24,776
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	78,40,01,791	4,08,79,40,451
स्टाफ ऋण	1,69,52,27,467	1,58,42,29,160
व्युत्पन्नी आस्तियां	5,83,74,04,868	9,06,83,52,248
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	1,94,24,53,524	5,52,43,75,070
अन्य	1,51,39,68,724	2,29,42,77,258
योग	**30,25,37,16,308**	**44,16,47,98,963**

(राशि ₹ में)

अनसूची XI : आकस्मिक देयताएं	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	5,06,41,82,735	5,74,27,63,852
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	20,23,30,137	46,99,22,915
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	21,81,77,727	5,79,87,607
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबैंचरों पर न मांगी गई राशियों एवं उद्यम पूंजी निधि आदि से अनाहरित हामीदारी के फलस्वरूप	17,46,36,734	5,19,13,80,042
vi) व्युत्पन्नी संविदाओं के फलस्वरूप	53,84,68,08,765	64,67,78,37,345
vii) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	-	-
योग	**59,50,61,36,098**	**76,13,98,91,761**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII : ब्याज और बट्टा	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	95,55,49,76,984	1,10,02,35,82,062
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	16,58,80,98,002	11,17,29,33,214
योग	**1,12,14,30,74,986**	**1,21,19,65,15,276**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII : अन्य आय:	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1. अपफ्रंट और संसाधन शुल्क	40,28,86,367	57,92,69,491
2. कमीशन और दलाली	83,89,829	1,25,57,895
3. निवेशों की बिक्री से लाभ	1,27,43,88,726	4,01,85,64,459
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	25,50,000	12,75,000
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	5,96,524	-
6. अशोध्य ऋणों से वसूली	1,42,52,18,289	1,02,21,91,305
7. प्रावधानों का विपर्यय /एफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	5,17,85,60,369	3,71,15,35,404
8. अन्य	1,00,31,93,248	1,44,53,97,388
योग	**9,29,57,83,352**	**10,79,07,90,942**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV : परिचालन व्यय:	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	3,90,39,87,544	3,94,77,42,252
किराया, कर और बिजली	15,10,55,154	17,31,83,525
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, डाक /कुरियर, दूर-संचार एवं बीमा	1,39,17,644	1,99,94,705
विज्ञापन और प्रचार	2,91,30,216	38,31,97,069
बैंक की संपत्ति में मूल्यहृास / परिशोधन	24,08,96,441	18,36,84,906
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	56,65,658	56,56,120
लेखा परीक्षकों की फीस	36,96,387	33,64,757
विधि प्रभार	1,90,74,526	1,84,04,109
मरम्मत और रखरखाव	12,09,70,459	17,23,03,019
निर्गम व्यय	42,82,499	12,40,21,740
पूँजी हामीदारी, प्रबंध फीस आदि	1,49,78,690	7,70,27,713
अनुपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	9,30,45,281	12,40,21,740
अन्य व्यय	1,11,26,88,807	1,28,52,00,771
योग	**5,71,33,89,306**	**6,51,78,02,426**

अनुसूची XV: समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **तैयार करने के आधार**

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (मूल) एवं उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू उपबंधों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक या सिडबी) द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावितकरते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये आकलन और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण है। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

समेकन प्रक्रिया:

सहायक संस्थाओं जिनको समेकित वित्तीय विवरणों विव 2020-21 और 2019-20 में शामिल हैं:

1) मुद्रा यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

2) सिडबी उद्यम पूंजी निधि लिमिटेड (एसवीसीएल)

3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों 2020-21 में शामिल हैं:

1) एक्विटे रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)

2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)

3) दिल्ली वित्त निगम

4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)

5) किटको लिमिटेड

6) एपिटको लिमिटेड

सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों 2019-20 में शामिल हैं:

1) एक्विट रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)

2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)

3) दिल्ली वित्त निगम

4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)

5) किटको लिमिटेड

6) एपिटको लिमिटेड

7) इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेस लिमिटेड (वित्त वर्ष 21 में परिसमापन के तहत)

समूह (3 सहायक और 6 सहयोगी संस्थाओं जिनके विवरण ऊपर दिए गए हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है.

क. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल) के लेखापरीक्षित लेखे

ख. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी सामग्री अंतर-समूह शेष / संव्यवहार को समाप्त करने के बाद और मूल के सन्दर्भ में 3 सहायक कंपनियों की आस्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

ग. सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार सहयोगी संस्थाओं में निवेश को ईक्विटी विधि के अंतर्गत माना गया है।

घ. लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक और सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जहां भी आवश्यक और व्यावहारिक होते हैं, समायोजित किए जाते हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, सहयोगियों के वित्तीय विवरण, समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि बैंक के प्रबंधन की राय में वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. **राजस्व निर्धारण**

बैंक को जो भी संभव आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली का अधिकार स्थापित हो जाने के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में एचटीएम श्रेणी में यूनिट/शेयरों के मोचन को बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया हैः

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

x. निवेश से बिक्री में लाभ या हानि : किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

xi. सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

xii. बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा आदि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

xiv. एलसी/बीजी पर कमीशन को अवधि के दौरान उपचित आधार पर आनुपातिक रूप से मान्यता दी जाती है।

xv. मुद्रा - ब्याज सबवेंशन योजना पर प्रशासनिक आय को पूरे किए गए कार्य के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

xvi. एसवीसीएल - राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिले और राजस्व को विश्वसनीयता से मापा जा सके। वहां राजस्व को मान्यता नहीं दी जाती है जहां संबंधित उद्यम पूंजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों में आहरण प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और ऐसे मामलों में इसे प्राप्त होने पर प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंधित वेंचर कैपिटल फंड्स/वैकल्पिक निवेश फंड से तिमाही आधार पर/वार्षिक आधार पर (संबंधित फंड दस्तावेजों में निर्धारित अनुसार) प्रबंधन शुल्क के रूप में आय अर्जित करती है।

कंपनी आईआईबीआई द्वारा सौंपे गए निवेशों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ के 5% की दर से आय को मान्यता देती है

xvii. एसटीसीएल - राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि जहाँ यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंधित उद्यम पूंजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/वार्षिक आधार पर (संबंधित निधियों के साथ अनुबंधों में निर्धारित) ट्रस्टीशिप शुल्क के रूप में आय अर्जित करती है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया हैः

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां,जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका ब्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

(vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(ix) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

(xiii) (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

(xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यांकन उसके कम मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी ₹1/- पर किया जाता है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

vii. बकाया वायदा विनिमय संविदाएं जो व्यापार के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है।

5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण और अग्रिम

i. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों और पुनर्संरचित अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

iii. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

iv. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

v. मुद्रा: मुद्रा विभिन्न एमएफआई / बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा प्राप्त ऋण प्राप्तियों द्वारा समर्थित पास थ्रू प्रमाणपत्रों की सदस्यता ले रहा है। इस तरह के प्रतिभूतिकरण लेनदेन को ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तुलन-पत्र में सकल आधार पर दिखाया जाता है, जो बही मूल्य पर होते हैं और प्रावधान अलग से दिखाए जाते हैं। हालांकि, मानक आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

7. कराधान

i. कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

ii. आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

iii. आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

iv. जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8. प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के

समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

(i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान:

क. सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक अभिलाभों या हानियों की पहचान उनकी अवधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे मे की जाती है।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(v) वर्ष के दौरान हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान को लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

ख. सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

एसवीसीएल:

कर्मचारियों के लाभ:

<u>परिभाषित अंशदान योजनाएं:</u>

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाएं:

कंपनी ग्रैच्युटी के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है। ऐसे लाभ तुलन - पत्र तिथि पर स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वृद्धिशील देयता को लाभ और हानि विवरण के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। कंपनी ने अपनी निधि से जीवन बीमा निगम से समूह ग्रैच्युटी पालिसी ले रखी है।

कार्य निष्पादन वेतन:

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रोत्साहन है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित है।

छुट्टी नकदीकरण:

छुट्टी नकदीकरण के रूप में कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। बकाया अवकाश को अवकाश नीति के आधार पर अल्पावधि और दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार अल्पावधि और दीर्घकालिक अवकाश का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी एकत्रित छुट्टी में से 15 दिन के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास:

i. स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं

ii. आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।

iii. पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

क. फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

ख. कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

ग. भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

घ. विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

ङ. मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv. वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

v. पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

मुद्रा

आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया हैं। वित्त पोषण लागत सहित अपने इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे लागत वाली सभी लागतों को भी पूंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे लाइन विधि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 26 के आधार पर लागत का परिशोधन किया जाता है। ₹5,000/- या उससे कम की लागत वाली संपत्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित कर दिया गया है।

एसवीसीएल-

अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों के संचयी मूल्यह्रास को कम करके दर्शाया गया हैं। स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास दर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित तरीके से लिखित डाउन वैल्यू विधि के दर पर प्रदान किया गया है। खरीदे गए मोबाइल / टेलीफोन उपकरणों / टैबलेट उपकरणों की लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व व्यय में ले लिया गया है। उन आस्तियों पर मूल्यह्रास जिनकी वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ:

एएस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत करता है और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा:

पट्टा संबंधी किराए को एएस-19 के अनुसार पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

क. क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख. पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुबंध - I

1. समेकित वित्तीय विवरण में समाहित अनुषंगी संस्थाओं के ब्यौरे:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात*	वर्ष अंत में लाभ /हानि मार्च 31, 2021	वर्ष अंत में लाभ /हानि मार्च 31, 2020
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	4,75,54,472	3,18,16,213
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	50,02,018	51,13,156
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	2,45,21,92,879	2,32,81,74,046
योग				**2,50,47,49,369**	**2,36,51,03,415**

मुद्रा लिमिटेड को छोड़ कर अन्य सभी सहायक संस्थाओं की वित्त वर्ष 2021 की वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षित हैं

* चूंकि अनुषंगी संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अल्पसंख्य हित के बारे में कोई अलग प्रकटन दर्शित नहीं किया गया है

2.क समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के चालू और पिछले वर्ष के ब्यौरे निम्नवत हैं:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता का (%)		विवरण	निवेश (अंकित मूल्य)	निवेश		समाप्त वर्ष के लिए लाभ/(हानि) का हिस्सा		आरक्षितियों [1] में हिस्सा	
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020			मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1	एक्यूटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व स्मेरा)[2]	35.73	35.73	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	3,60,22,888	2,75,32,675	9,56,58,508	5,96,35,620
2	इंडिया एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड[2]	26.00 [3]	26.00 [3]	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	26,00,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000	16,43,292	(2,22,31,686)	3,32,85,178	3,16,41,887
3	दिल्ली वित्त निगम[4]	23.71	23.71	राज्य वित्त निगम	3,13,87,500	3,13,87,500	3,13,87,500	(10,04,72,015)	(51,43,321)	(3,66,375)	10,01,05,640
4	रिसीवेब्ल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड[5]	30.00	30.00	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए आनलाइन प्लेटफार्म (ट्रेड्स)	15,00,00,000	15,00,00,000	11,25,00,000	(1,64,89,459)	(2,37,70,722)	(7,75,58,399)	(6,10,68,940)
5	एपिटको लिमिटेड[4]	41.29	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	80,10,000	54,70,975	54,70,975	(52,08,453)	30,96,682	3,45,22,441	3,97,30,893
6	किटको लिमिटेड[5]	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	(5,56,93,535)	(41,60,282)	21,98,57,900	27,55,51,435
7	इण्डिया एसएमई टेक्नालजी सर्विसेज लिमिटेड (पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरण शामिल)[7]	22.73	22.73	एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	1,00,00,000	1	1,00,00,000	(87,74,203)	(2,22,338)	-	87,74,203
योग						**50,03,53,772**	**47,28,53,771**	**(14,89,71,485)**	**(2,48,98,992)**	**30,53,99,253**	**45,43,70,738**

1 (i) मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगियों में लाभ/ (हानि) का हिस्सा मद के तहत समेकित तुलन पत्र के "सहयोगियों में (अर्जन)/ हानि का हिस्सा मद" में,(₹14,89,71,485) (पिछले वर्ष (₹2,48,98,992/-)) नामे किया गया है ।

(ii) तुलन पत्र मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए की अनुसूची II -आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां में, ₹30,53,99,253 (पिछले वर्ष ₹45,43,70,738/-) के आरक्षित निधि में शामिल।

2. मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष की एक्यूटे रेटिंग प्रा लि, इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आंकड़े लेखापरीक्षित नहीं है ।

3. एसवीसीएल की 11% होल्डिंग (सिडबी की 100% सहायक संस्था) शामिल है।

4. 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली वित्त निगम और एपिट्को के आंकड़ों की लेखापरीक्षा की गई है।

5. रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आईएनडी एएस के अनुसार लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

6. किटको लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आईएनडी एएस के अनुसार गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

7. इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, एक सहयोगी जिसमें सिडबी की 22.73% हिस्सेदारी है (निवेश लागत: ₹1,00,00,000), परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखांकन मानक 21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। सिडबी ने मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में इस सहयोगी में निवेश पर पूर्ण प्रावधान किया है। इसके अलावा, विवेक की बात के रूप में, इस सहयोगी में आरक्षित भंडार के ₹87,74,203 शेयर को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के समेकित लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया जाता है।

ख. समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल नहीं हैं। किन्तु निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में ह्रास	
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020			मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पी एफ सी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपीएसएफसी	24.18	24.18	राज्य वित्त निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)	(21,67,59,000)
योग					**70,94,41,100**	**(70,94,41,100)**	**(70,94,41,100)**

एमएसएफसी, पीएफसी और यूपीएसएफसी के अलावा अन्य एसएफसी के आंकड़े 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। एमएसएफसी और पीएफसी के बारे में, आंकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष और 31 मार्च, 2018 के लेखापरीक्षा किए गए परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के संबंध में, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अनंतिम परिणाम उपलब्ध हैं।

ग. हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में,बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एसएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार निवेश का बुक मूल्य ₹1 / - लिया गया है।

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता का (%)		विवरण	निवेश	
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
1	बिहार औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
2	पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	43.44	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
3	ओड़ीशा औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.42	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
					3	**3**

3. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान सहयोगी संस्थाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ है।

4. सिडबी की मूल्यह्रास नीति के अंतर्गत एसएलएम/डब्ल्यूडीवी के अनुसार पूर्व-निर्धारित दरों से आस्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यह्रास का परिकलन करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹24,08,96,441/- (गत वर्ष ₹18,36,84,906/) के कुल मूल्यह्रास में ₹5,02,713/- यानी राशि का 0.21% (गत वर्ष ₹9,67,513/- यानी राशि का 0.53%) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यह्रास के अनुसार किया गया है।

5. **कर्मचारियों के हितलाभ**

(i) सिडबी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी हितलाभों के बारे में जारी लेखांकन मानकों (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों को बैंक ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को अभिनिर्धारित किया है:

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	7,90,27,233	8,01,88,984
नव पेंशन योजना में नियोजक का अंशदान	2,69,44,564	2,47,85,687

(ख) बैंक में सुपरिभाषित पेंशन और ग्रेच्युटी हितलाभ योजनाएं हैं जिनका प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
1. धारणाएँ				
बट्टा दर	6.85%	7.00%	6.35%	7.00%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.85%	7.00%	6.35%	7.00%
वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हितलाभ देनदारियों में बदलाव को दिखाती सारणी				
वर्ष के आरंभ में देयताएँ	529.88	439.65	99.64	91.36
ब्याज लागत	30.78	34.20	6.54	6.63
मौजूदा सेवा लागत	14.92	13.79	5.68	5.18
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
भीतर अंतरित देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	(32.86)	(35.02)	(9.75)	(11.07)
देनदारियों पर बीमांकित (लाभ) / हानि	10.78	77.26	4.59	7.54
वर्ष के अंत में देयताएँ	**553.50**	**529.88**	**106.70**	**99.64**
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	33.96	33.28	7.24	8.06
अंशदान	32.86	35.02	0.22	0.09
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	(32.86)	(35.02)	(9.75)	(11.07)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	(1.15)	25.18	(0.13)	0.09
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**501.50**	**468.69**	**105.73**	**108.15**

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
4. बीमांकित लाभ / हानि के अभिनिर्धारण की सारणी				
संबन्धित अवधि के लिए देयताओं पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	10.78	77.26	4.59	7.54
संबन्धित अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	1.15	(25.18)	0.13	(0.09)
आय व व्यय विवरणी मे अभिनिर्धारित बीमांकित (लाभ) / हानियाँ	**11.93**	**52.08**	**4.72**	**7.45**
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ				
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	33.96	33.28	7.24	8.06
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	(1.15)	25.18	(0.13)	0.09
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**32.81**	**58.46**	**7.11**	**8.15**
6. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि				
वर्ष की समाप्ति पर देयताएँ	(553.50)	(529.88)	(106.70)	(99.64)
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	501.50	468.69	105.73	108.15
अंतर	(52.00)	(61.19)	(0.97)	8.51
वर्ष की समाप्ति पर पिछली सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि	**(52.00)**	**(61.19)**	**(0.97)**	**8.51**
7. आय विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय				
मौजूदा सेवा लागत	14.92	13.79	5.68	5.18
ब्याज लागत	30.78	34.20	6.54	6.63
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(33.96)	(33.28)	(7.24)	(8.06)
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकित (लाभ) / हानि	11.93	52.08	4.72	7.45
लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय	**23.67**	**66.79**	**9.70**	**11.20**
8. तुलन-पत्र का मिलान				
आरंभिक निवल देयताएँ	61.19	29.42	(8.51)	(19.62)
यथोक्त व्यय	23.67	66.79	9.70	11.20
नियोजक का अंशदान	(32.86)	(35.02)	(0.22)	(0.09)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि	**52.00**	**61.19**	**0.97**	**(8.51)**

9. अन्य ब्यौरे

बैंक की सूचना के अनुसार वेतन में बढ़ोत्तरी को विचार में लिया गया है जो कि पदोन्नति और कर्मचारी आपूर्ति को ध्यान में लेकर उद्योग-क्षेत्र में प्रचलित व्यवहार के अनुसार है

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2021	वित्त 2020
10. आस्ति वर्ग				
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमादाताओं द्वारा प्रबंधित निधियाँ	501.50	468.69	105.73	108.15
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**501.50**	**468.69**	**105.73**	**108.15**

11. अनुभव समायोजन:

(₹ करोड़)

	पेंशन					उपदान				
विवरण	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2021	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	(1.14)	46.87	(22.03)	66.81	(5.53)	(0.43)	3.28	(19.71)	10.18	(7.91)
योजना आस्ति पर (लाभ)/हानि	(1.15)	25.17	(2.32)	0.32	0.58	0.13	(0.09)	(0.35)	(0.10)	0.29

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर अन्य योजनाबद्ध दीर्घकालिक हितलाभों के बारे में लाभ व हानि खाते को निम्नांकित राशियाँ प्रभारित की गई हैं

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	25.26	23.43
2	रुग्णता अवकाश	0.34	(4.91)
3	पुनर्स्थापन व्यय	(0.29)	0.12
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	4.16	10.50

(ii) एसवीसीएल

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹4,21,596/- (पिछले वर्ष ₹6,41,977/-) की राशि का अंशदान अपने कर्मचारियों के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान योजना (ट्रस्ट) में किया है।

(राशि ₹ में)

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ वित्त 2021	नियोजनोंपरांत हितलाभ वित्त 2020
हितलाभ का स्वरूप	उपदान	उपदान
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ		
गैर-निधि-निक्षेपित परिभाषित हितलाभ संबंधी देनदारियों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
निधिदत्त या अंशत: निधिदत्त परिभाषित हितलाभ देनदारियों का मौजूदा मूल्य	77,75,429	69,31,504
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	76,04,491	70,32,386
पिछला सेवा व्यय जिसे तुलन-पत्र में अधिमानित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी राशि जिसे बतौर आस्ति अभिनिर्धारित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य जिन्हें आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों।	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ:		
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियां	शून्य	शून्य

(राशि ₹ में)

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ वित्त 2021	नियोजनोंपरांत हितलाभ वित्त 2020
बीमादाता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	76,04,491	70,32,386
निवल देयताओं में बदलाव:		
आरंभिक निवल देयताएँ	(1,00,882)	(2,39,914)
व्यय	6,93,416	7,81,009
अंशदान	(4,21,596)	(6,41,977)
अंतिम निवल देयताएँ	1,70,938	(1,00,882)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	3,16,508	3,75,677
ब्याज लागत	4,80,353	4,60,142
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,87,344)	(4,79,191)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमांकीय लाभ / (हानियाँ)	(3,83,899)	(4,24,381)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित कुल व्यय	6,93,416	7,81,009
पिछली सेवा की लागत	शून्य	शून्य
कटौती / निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59(बी) की सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के तौर पर अभिनिर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
बीमांकिक धारणाएँ		
बट्टा दरें	6.93%	7.94%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.93%	7.94%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
मर्त्यशीलता	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)
अपंगता	शून्य	शून्य
ह्रास	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति की आयु	60 Years	60 Years

(iii) मुद्रा

(क) सभी कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, और मुद्रा में प्रतिनियुक्त इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया का ध्यान इस कंपनी में स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले नियोजको द्वारा ही रखा जाता है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में ₹19.61 लाख (मार्च 2020 में ₹20.54 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा जब भी इन खर्चों की मांग की जाती है तब इसे सिडबी को अदा किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में कोई भी नियोजन पश्चात कर्मचारी लाभ लागू नहीं है।

ख. अतः कंपनियों के लेखांकन मानक नियम 2006 के अंतर्गत जारी पुनरीक्षित ए एस15- कर्मचारी हितलाभ के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

6 प्रति शेयर अर्जन*:

(राशि ₹ में)

	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	26,07,54,76,492	25,44,85,86,153
प्रति ₹10 के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन	49.02	47.84

*चूंकि कोई विलेय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।

7 लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹33,54,64,587/- (गत वर्ष आस्थगित कर आस्ति ₹9,68,48,720/-) का निर्धारण किया है।

यथा 31 मार्च, 2021 आस्थगित कर आस्ति/(देयता) की पृथक-पृथक राशियाँ निम्नवत हैः

(राशि ₹ में)

क्रम सं	समय-अंतराल	वि व 2020-21 (₹) आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	वि व 2019-20 (₹) आस्थगित कर आस्ति / (देयता)
1	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	67,00,765	37,17,630
2	आयकर अधिनियम 1961की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	(3,71,54,81,342)	(3,52,02,16,577)
3	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	65,68,80,198	1,20,50,72,585
4	भारत सरकार के बाँण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन	(1,06,49,427)	(2,12,98,854)
5	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	54,95,443	1,63,22,587
6	अग्रानीत दीर्घावधि पूँजी हानि	-	-
7	गैर निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	-	-
8	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,93,20,85,788	1,64,85,24,603
9	अन्य	64,59,94,738	1,52,43,68,776
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	**52,10,26,163**	**85,64,90,750**

8 पूंजीगत खाते में निष्पादन हेतु लंबित संविदाओं से संबन्धित प्राकलित राशि ₹75,66,907/-(गत वर्ष ₹21,02,888/-) (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर) का प्रावधानीकरण नहीं किया गया है।

9 **दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा:**

बैंक ने 7 जून, 2019 दिनांक के भारतीय रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा विषयक परिपत्र के अनुसार रिज़ॉल्यूशन प्लान (आर पी) लागू किया है, उसमें मामलों की संख्या शून्य है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा के अंतर्गत "कोविड 19 रेगुलेटरी पैकेज - समाधान समय की समीक्षा", के तहत खातों की संख्या 'शून्य' है।

"कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा" पर आरबीआई के 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के अनुसार, जहां बैंक ने समाधान योजना लागू की है, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त परिपत्र के प्रारूप-ए में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैः-

उधारकर्ता का प्रकार	(क) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (ए) में उल्लिखित खातों में एक्सपोजर	(ग) (ख) मेंसे, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(घ) अतिरिक्त मंजूर धनराशि, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(च) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
वैयक्तिक ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति*	7 खाते (एकल उधारकर्ता से संबन्धित है)	17.30	0	1.55 (एफ़आईटीएल)	3.46
जिनमें से एमएसएमई	7 खाते (एकल उधारकर्ता से संबन्धित है)	17.30	0	1.55 (एफ़आईटीएल)	3.46
अन्य					
कुल	7 खाते (एकल उधारकर्ता से संबन्धित है)	17.30	0	1.55 (एफ़आईटीएल)	3.46

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

10 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित कोविड-19 विनियामक पैकेजों के अनुसार, बैंक ने अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच मानक के रूप में वर्गीकृत सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए, भले ही 29 फरवरी, 2020 तक अतिदेय हो के सभी किश्तों के और / या ब्याज, जैसा लागू हो पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन की पेशकश की है। ऐसे खातों के संबंध में जिन्हें अधिस्थगन प्रदान किया गया था, अधिस्थगन अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण स्थिर रहा। 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार आवश्यक प्रकटन नीचे दिए गए हैं:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
परिपत्र के पैरा 2 और 3 के अनुसार (29 फरवरी, 2020 तक) एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में जहां ऋण स्थगन / अधिस्थगन प्रदान किया गया ।	620.66
संबंधित राशियाँ जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ विस्तारित किया गया है (30 सितंबर, 2020)	53.47
परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	27.99
परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार गिरावटों के प्रति समायोजित प्रावधान	27.99
परिपत्र के पैराग्राफ 6 के अनुसार 31 मार्च, 2021 के दौरान अवशिष्ट प्रावधान	-

11 **अनुसूची XI में संदर्भित आकस्मिक देयताएं**

₹5,06,41,82,735 (पिछले वर्ष ₹574,27,63,852) की आकस्मिक देनदारियां सिडबी के खिलाफ दायर आयकर/सेवा कर/कानूनी मामलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस पर बैंक द्वारा विवाद किया जा रहा है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसमें बैंक के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर अपीलों से संबंधित ₹239,54,59,323 (पिछले वर्ष ₹173,22,02,927) की राशि शामिल है।

12 प्रबंधन की राय में, लेखा मानक 28- आस्तियों की क्षति के संदर्भ में बैंक की अचल आस्तियों की कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है।

13 आकस्मिकताओं में प्रावधानों के लिए लेखा मानक 29 के तहत प्रकटीकरण। बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को हर पांच साल में पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसा पुनरीक्षण 01 नवंबर, 2017 से लंबित है।

(राशि ₹ में)

विवरण	वित्त 2021	वित्त 2020
	वेतन बकाया /प्रोत्साहन	वेतन बकाया /प्रोत्साहन
आरंभिक शेष	**76,00,00,000**	**34,00,00,000**
परिवर्धन:		
बकाया	31,63,00,000	42,00,00,000
प्रोत्साहन		-
उपयोग :		
प्रतिलेखन		-
अंतिम शेष	**1,07,63,00,000**	**76,00,00,000**

14 **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्संरचना:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 11 फरवरी, 2020 के परिपत्र के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्संरचना की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर 06 अगस्त, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के परिणाम के कारण अर्थक्षम एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते इस प्रकार हैं:

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
743	703.01

15 भारत में वर्तमान "दूसरी लहर" सहित कोविड 19 महामारी, बैंक के संचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी और आस्ति की गुणवत्ता भविष्य के विकास पर निर्भर करेगी, जो अत्यधिक अनिश्चित है।

16 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर ₹174 करोड़ के अतिरिक्त मानक संपत्ति प्रावधान किए हैं, जिन्हें इसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था।

17 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 03 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के अनुसार, बैंक ने 31 अगस्त, 2020 के बाद अनर्जक आस्ति के रूप में अग्रिमों से संबंधित आईआरएसी पर आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्ति नहीं होने वाले किसी भी खाते को वर्गीकृत नहीं किया। मामले के लंबित निपटान के लिए, बैंक ने विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इन खातों के संबंध में एक आकस्मिक प्रावधान किया था।

लघु उद्योग औद्योगिक निर्माता संघ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश 23 मार्च, 2021 के द्वारा खातों को एनपीए के रूप में घोषित नहीं करने का आदेश दिया गया था। इस संबंध में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2021 के पैराग्राफ 5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों / आईआरएसी मानदंडों के अनुसार उधारकर्ताओं के खातों के आस्ति वर्गीकरण को जारी रखा है।

18 भारतीय रिज़र्व बैंक के 07 अप्रैल, 2021 के परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं को 'ब्याज पर ब्याज' वापस/समायोजित करेगा, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था, भले ही अधिस्थगन पूरी तरह से किया गया हो या नहीं या आंशिक रूप से लिया गया है या नहीं। तदनुसार, ऐसे 'ब्याज पर ब्याज' की राशि की गणना के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार ऐसे उधारकर्ताओं को वापस/समायोजित की जाने वाली ₹4.72 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में प्रभार के रूप में मान्यता दी गई है।

19 मूल और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के मद्देनजर उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई हैं।

20 **इंड-एएस का कार्यान्वयन:**

बैंक को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के 15 मई 2019 के पत्र के अनुसार, एआईएफआई के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। तदनुसार, आईजीएएपी के तहत बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। हालांकि, बैंक अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र में दी गई सलाह के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना जारी रखेगा। वर्तमान में, सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणों को इंड-एएस वित्तीय विवरणों में बदलने के लिए एक्सेल शीट्स का उपयोग कर रहा है। बैंक ने उपरोक्त परिपत्र के अनुसार 30 सितंबर, 2020 तक आईजीएएपी परिवर्तित प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

21 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ़) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्रारूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसआईडीएफ़ अधिसूचित नहीं किया गया है, सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

22 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्समूह और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

1 पूंजी पर्याप्तता

(₹ करोड़)

क्र. स.	विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी	22,650.64	19,873.61
(iv)	टियर 2 पूँजी	740.56	691.08
v)	कुल पूँजी (टियर 1 + टियर 2)	23,391.20	20,564.69
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (जोभाआ)	78,712.08	72,454.94
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (कुल जोभाआ के अनुपात के रूप में सामान्य ईक्विटी)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	28.78%	27.43%
ix)	पूँजी व जोखिम भारिता आस्ति अनुपात (जोभाआअ) (कुल पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	29.72%	28.38%
x)	भारत सरकार की अंशधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) ऋण पूँजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* बेसल-III के लागू न होने के कारण वर्तमान में आँकड़ों की गणना नहीं की जा रही है

2 निर्बंध आरक्षितियाँ एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (संचयी)	1,165.01	691.08

(ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	1,099.96	1,348.53
लेखा-वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में किए गए आहरण की राशि *	0.00	248.57*
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	1,099.96	1,099.96

*अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए/एनपीआई प्रावधानों को बनाने के लिए राशि का उपयोग किया गया।

3 आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) निवल ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियां (%)	0.11%	0.42%
(ii) अनर्जक आस्तियां (सकल) की प्रगति		
(क) अथ शेष	1,111.91	867.91
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	147.11	942.63
(ग) वर्ष के दौरान कमी	900.34	698.63
(घ) इति शेष	358.68	1,111.91
(iii) निवल अनर्जक आस्तियां में परिवर्तन		
(क) अथ शेष	729.71	292.55
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(413.85)	516.84
ग) वर्ष के दौरान कमी	130.61	79.68
(घ) इति शेष	185.25	729.71
(iv) अनर्जक आस्तियां हेतु प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को घटाकर)		
(क) अथ शेष	453.26	575.35
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	495.19	500.18
ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना /प्रतिलेखन	775.03	622.27
(घ) इति शेष	173.42	453.26

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	3.02%
(ii) अनर्जक निवेश की प्रगति (सकल)		
(क) अथ शेष	628.62	1,577.17
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.00	0.01
(ग) वर्ष के दौरान कमी	285.00	948.56
(घ) इति शेष	344.62	628.62
(iii) निवल अनर्जक निवेश की प्रगति		
(क) अथ शेष	285.00	993.44
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	285.00	708.44
(घ) इति शेष	0.00	285.00
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधान की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	628.62	868.73
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.00	708.45
(ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना /प्रतिलेखन	285.00	948.56
(घ) इति शेष	344.62	628.62

(ग) अनर्जक आस्तियाँ (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (ऋण+निवेश) (%)	0.10%	0.55%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण +सकल निवेश)		
(क) अथ शेष	1,740.54	2,445.08
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	148.11	942.64
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,185.34	1,647.18
(घ) अंतिम शेष	703.31	1,740.54
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रगति		
(क) अथ शेष	1,014.70	1,285.98
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(698.84)	516.84
(ग) वर्ष के दौरान कमी	130.61	788.12
(घ) इति शेष	185.25	1,014.70
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	1,081.89	1,444.09
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	502.89	1,208.63
(ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना /प्रतिलेखन	1,066.73	1,570.83
(घ) इति शेष	518.05	1,081.89

3 (घ) पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

[₹ करोड़]

क्रम सं	पुनर्संरचना का प्रकार →		एसएमई ऋणपुनर्संरचना तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि /	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	15	10	14	-	39	15	10	14	-	39
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	42.14	46.63	48.32	-	137.09	42.14	46.63	48.32	-	137.09
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	0.56	2.03	0.23	-	2.82	0.56	2.03	0.23	-	2.82
2	वर्ष के दौरान की गई नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या					-	8	7	1	-	16	8	7	1	-	16
		बकाया राशि					-	43.53	20.82	4.59	-	68.94	43.53	20.82	4.59	-	68.94
		उस पर प्रावधान					-	-	1.09	-	-	1.09	-	1.09	-	-	1.09
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-	1	(1)			-	1	(1)	0	-	-
		बकाया राशि					-	1.83	(1.83)			-	1.83	(1.83)	-	-	-
		उस पर प्रावधान					-	-	-			-	-	-	-	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या					-	(8)				(8)	(8)				(8)
		बकाया राशि					-	(34.20)				(34.20)	(34.20)				(34.20)
		उस पर प्रावधान					-	(0.01)				(0.01)	(0.01)				(0.01)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों के दर्जे में कमी	उधारकर्ताओं की संख्या					-	(2)	(5)	7	-	-	(2)	(5)	7	-	-
		बकाया राशि					-	(1.59)	(33.29)	34.88	-	-	(1.59)	(33.29)	34.88	-	-
		उस पर प्रावधान					-	(0.01)	(2.44)	2.45	-	-	(0.01)	(2.44)	2.45	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या					-	(4)	(1)	(11)	-	(16)	(4)	(1)	(11)	-	(16)
		बकाया राशि					-	(6.85)	(1.50)	(12.10)	-	(20.45)	(6.85)	(1.50)	(12.10)	-	(20.45)
		उस पर प्रावधान					-	(0.16)	(0.05)	(2.05)	-	(2.26)	(0.16)	(0.05)	(2.05)	-	(2.26)
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुर्सरचित खाते (अंतिम आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	10	10	11	-	31	10	10	11	-	31
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	44.86	30.83	75.69	-	151.38	44.86	30.83	75.69	-	151.38
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	0.38	0.63	0.63	-	1.64	0.38	0.63	0.63	-	1.64

* मानक पुनर्संचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

पुनर्संरचित खातों में कमी सहित।

(च) अनर्जक आस्तियों की प्रगति

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
लेखांकन अवधि की आरंभिक तिथि को सकल अनर्जक आस्तियां (अथ शेष)	1,396.91	1,152.91
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	147.11	942.62
उप योग (क)	**1,544.02**	**2,095.53**
घटाएँ :-		
(i) उन्नयन	20.04	50.90
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	119.68	88.43
(iii) तकनीकी /विवेकपूर्ण बट्टा खाता	760.62	558.18
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए	285.00	1.11
उप योग (ख)	**1,185.34**	**698.62**
यथा अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (इति शेष) (क-ख)	**358.68**	**1,396.91**

(छ) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में अथशेष	2,007.01	1,563.29
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	760.62	558.18
उप जोड़ (क)	**2,767.63**	**2,121.47**
घटाएँ : वास्तविक बट्टे खाते	0.00	12.24
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूलियाँ	142.75	102.22
उप योग (ख)	**142.75**	**114.46**
31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**2,624.88**	**2,007.01**

(ज) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(झ) मूल्य ह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**17,786.59**	**10,066.31**
(क) भारत में	17,786.59	10,066.31
(ख) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	365.38	634.74
(क) भारत में	365.38	634.74
(ख) भारत के बाहर		
(iii) निवल निवेश	**17,421.21**	**9,431.57**
(क) भारत में	17,421.21	9,431.57
(ख) भारत के बाहर		

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	291.12	291.25
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14.64	7.28
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	-	7.08
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित /बट्टे खाते में डाले गए	(285.00)	-
(v) घटाएं : निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण, यदि कोई हो तो*	-	7.41
(vi) अंतिम शेष	**20.76**	**291.12**

(ञ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का पृथक-पृथक विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
निवेश पर मूल्यह्रास/ एनपीआई हेतु प्रावधान #	15.64	704.09
एनपीए हेतु प्रावधान @	439.44	189.57
आयकर के प्रति किया गया प्रावधान (आस्थगित कर-आस्ति/देयता सहित)	816.21	615.81
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)$	487.92	119.28

@ पुनर्संरचना के प्रावधान को घटाकर

$ मानक आस्ति हेतु प्रावधान सहित

(ट) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

	वि व 2020-21	वि व 2019-20
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	93.41%	80.35%

* पीसीआर की गणना करते समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया

(ठ) धोखाधड़ी खातों विषयक प्रावधान

	वि व 2020-21
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	6
धोखाधड़ी की राशि (₹ करोड़)	335.54
वर्ष के अंत में धोखाधड़ी में शामिल वसूली/बट्टे खाते में डालने/अप्राप्त ब्याज की निवल राशि (₹ करोड़)	297.28
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (₹ करोड़)	195.60
उपर्युक्त खातों के लिए वर्ष के अंत तक धारित प्रावधान (₹ करोड़)	297.28
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	-

4 निवेश पोर्टफोलियो : संगठन एवं परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा मार्च 31, 2021 बकाया राशि
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूति				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	1,024.92	59.11	499.95
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	17,677.11	5,132.33	4,054.99
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा मार्च 31, 2020 बकाया राशि
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूति				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	529.93	71.52	474.98
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	10,795.99	2,435.11	50.00
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	637.55	438.44	-	-	-
वित्तीय संस्थाएं	250.56	147.67	-	78.55	103.00
बैंक	8,093.98	10.00	-	103.50	103.50
निजी कार्पोरेट्स	426.08	175.80	-	364.05	355.16
अनुषंगी /संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	-	0.00	0.00
अन्य	4,783.40	1,019.46	-	1,019.46	4,770.27
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(364.07)	-	-	-	-
योग	**13,827.50**	**1,791.37**	**-**	**1,565.56**	**5,331.93**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्तवर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में / से कोई निवेश रूपांतरित नहीं किया गया

5 खरीदी / बेची गयी आस्तियों का विवरण

(क) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों बेची गयी आस्तियों के विवरण

(i) बिक्रियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	शून्य	1
(ii) एस सी /आर सी को बेचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	शून्य	0.56#
(iii) सकल प्रतिफल	शून्य	3.72 (नकद-0.56)
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	5.24
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	**5.80**

केवल नकदी घटक पर विचार किया गया है

(ii) प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	
	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) अंतर्निहित के रूप में एआईएफ़आई द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्ति समर्थित	0.27	0.27
(ii) अंतर्निहित के रूप में बैंकों/ अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
योग	**0.27**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी /बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	1
सकल बकाया	शून्य	6.77
सकल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	3.72 (नकद-0.56)

6 परिचालित परिणाम

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत	5.57	6.47
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.46	0.58
(iii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व)	2.18	2.23
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व)	1.71	1.69
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	**2.50**	**2.43**

7 ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	468.59	470.43
(ii) शेयरों/ बाँड़ों/ ऋण-पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयर (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बाँड़ों, प्रतिवर्तनीय ऋण-पत्रों, और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युयल फंड की इकाइयों में निवेश करने हेतु दिया गया अग्रिम;	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बोंड्स अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से सुरक्षित है और जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोजर	1,140.06	1,546.36
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,608.65**	**2,016.79**

(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर

प्रत्येक देश के साथ सिडबी का निवल निधिबद्ध एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% के भीतर है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देश के जोखिम के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर निधिक राशि	पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के संबंध में उसका प्रतिशत

क्र. सं.	विवरण	वि व 2020-21		वि व 2019-20	
		कुल आस्तियों का %	पूँजी निधियों का %	कुल आस्तियों का %	पूँजी निधियों का %
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	8.28	75.63	9.89	98.79
	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	59.73	545.63	70.28	701.97
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) समस्त ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21		वि व 2019-20	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत
मेटल उत्पाद एन.ई.सी.	977.27	0.63	865.67	0.52
ऑटो अनुषंगी	694.96	0.44	602.87	0.36
प्लास्टिक मोल्डेड सामान	537.01	0.34	439.20	0.26
मशीनरी छोड़ कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	515.72	0.33	473.29	0.29
कपड़ा उत्पाद	475.59	0.30	338.89	0.20

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	1,51,599.34	1,34,526.27
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	82.64%	75.42%

(ii) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,27,260.75	1,29,917.94
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.88%	74.45%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,36,729.01	1,44,358.89
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	70.49%	70.72%

(iii) एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां का क्षेत्रवार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	वि व 2020-21			वि व 2019-20		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,54,828.92	282.31	0.18%	1,59,652.52	340.45	0.21%
	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	31.92	-	-	112.92	-	-
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,42,840.85	-	-	1,49,136.32	-	-
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	254.77	-	-	273.78	-	-
	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	11,701.38	282.31	2.41%	10,129.50	340.45	3.36%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	2,699.06	16.09	0.60%	2,938.16	4.88	0.17%
III.	अन्य*	12,428.42	60.28	0.49%	12,373.66	766.58	6.20%
	कुल (I+II+III)	**1,69,956.40**	**358.68**	**0.21%**	**1,74,964.34**	**1,111.91**	**0.64%**

* गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं

8 व्युत्पन्नियाँ

क. वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	215.67	256.84
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	9.73	12.93
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित जोखिम	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	10.97	14.46
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	**9.73**	**12.93**

मार्च 31, 2021 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	क्र सं.	अनुमानिक मूलधन	मानदंड	शर्तें
1	बचाव	1	आईएनआर 215,66,65,938.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

मार्च 31, 2020 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	क्र सं.	अनुमानिक मूलधन	मानदंड	शर्तें
1	बचाव	1	आईएनआर 256,84,00,022.00	6 मि. यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएं

ख. विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ

(₹ करोड़)

क्र सं.	विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) /	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) /	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यंत प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और लिखत-वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है । बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में हैं जो एम् टी एम न होकर केवल रूपांतरित हैं / बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं । व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है । व्युत्पन्नियों के सौदे संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को दी जाती है

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्नियों के सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन के लिए उपचित विधि का पालन करता है

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2020-21		वि व 2019-20	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	5,384.68	215.67	6,467.78	256.84
	(i) बचाव के लिए	5,384.68	215.67	6,467.78	256.84
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	360.81	9.73	645.81	12.93
	(i) आस्ति (+)	423.85	9.73	686.73	12.93
	(ii) देयता (-)	(63.04)	-	(40.92)	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	635.21	10.96	999.34	14.46
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	86.83	(4.75)	131.06	(7.87)
	(i) व्युत्पन्नियों पर हेजिंग	86.83	(4.75)	131.06	(7.87)
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 * पी वी 01	-	-	-	-
	(i) हेजिंग पर	467.38/1.09	(4.75)/(7.99)	186.29/131.05	(10.48)/(8.93)
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9 एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले जारी किये गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़)

मार्च 31, 2020 को बकाया एलओसी		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान भुनाई गयी एलओसी		यथा 31 मार्च 2021 बकाया एल ओ सी	
एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10 आस्ति देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन /	15 से 28 दिन	29 से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	148	12	5,725	19,126	22,163	85,666	512	366	1,33,718
अग्रिम	13,633	2,519	23,572	16,739	39,780	68,787	4,427	431	1,69,888
निवेश	3,552	3,238	4,033	8,016	5,505	402	243	3,515	28,504
उधार	5,320	1,050	8,678	1,968	13,800	25,081	1,963	1,352	59,212
विदेशी मुद्रा आस्तियां	9	-	1,133	648	683	2,047	2,464	19	7,003
विदेशी मुद्रा देयताएँ	7	-	557	107	639	2,282	1,861	1,062	6,515

11 आरक्षितियों से आहरित

इस वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12 व्यवसाय अनुपात

विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान से पूर्व) (%)	16.60	17.55
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान से पूर्व) (%)	1.71	1.69
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.50	2.43

13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया

14 ग्राहक शिकायतें

1. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	वि व 2020-21	वि व 2019-20
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3	10
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	357	216
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	353	223
3(i)	जिनमें से अस्वीकृत कर दी गई शिकायतों की संख्या	27	11
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	7	3

2. **बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पांच प्रमुख कारण**

शिकायतों के कारण, (अर्थात से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के प्रतिशत (%) में वृद्धि / कमी%	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
			वर्तमान वर्ष		
अन्य	3	288	57.38	7	4
ऋण एवं अग्रिम	-	59	126.92	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	10	42.86	-	-
			विगत वर्ष		
अन्य	-	183	41.72	3	2
ऋण एवं अग्रिम	4	26	(29.73)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना /अत्यधिक शुल्क/ मोचनरोध शुल्क लगाना /	6	7	(12.50)	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 दिनांक 27.01.2021 में बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने हेतु शिकायतों को 16 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने की सलाह दी थी। इस उद्देश्य के लिए, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

15 प्रायोजित किए गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी

बैंक द्वारा वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष में कोई भी तुलन-पत्रेतर एसपीवी प्रायोजित नहीं किए गए।

16 विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - 'अन्य आय' में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹517,47,91,918/- की पूर्व अवधि की आय शामिल है [पिछले वर्ष ₹372,25,52,439] और अनुसूची XIV में अन्य व्यय - वित्तीय वर्ष के लिए 'परिचालन व्यय' 2020-21 में (₹3,48,13,281/-) का पूर्व अवधि व्यय [पिछला वर्ष (₹1,66,97,194)] शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों और लेखांकन मानक -17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के तहत आवश्यक है, बैंक ने "बिजनेस सेगमेंट" को प्राथमिक सेगमेंट के रूप में प्रकट किया है। चूंकि बैंक भारत में काम करता है, इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं। बिजनेस सेगमेंट के तहत, बैंक ने अपने तीन रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में थोक परिचालन (प्रत्यक्ष वित्तीयन), थोक परिचालन (पुनर्वित्त) और कोषागर पहचान की है। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन सेगमेंटों की पहचान की गई है। विगत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भाग ए : बिज़नेस सेगमेंट

(₹ करोड़)

बिज़नेस सेगमेंट		थोक परिचालन (प्रत्यक्ष वित्तीयन)		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		कोषागार		कुल	
	विवरण	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2020
1	**सेगमेंट राजस्व**	1,161	1,048	9,570	10,235	895	1,545	11,626	12,828
	अपवादात्मक मदें							518	371
	कुल							**12,144**	**13,199**
2	**सेगमेंट परिणाम**	190	165	2,699	2,975	258	(58)	3,147	3,082
	अपवादात्मक मदें							518	371
	कुल							**3,665**	**3,453**
	अविनिधानीय व्यय							227	290
	परिचालनगत लाभ							3,438	3,163
	आय कर (प्रतिलेखन को घटाकर)							816	616
	सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा							(15)	(2)
	निवल लाभ							**2,607**	**2,545**
3	**अन्य सूचना**								
	सेगमेंट की आस्तियां	11,678	10,121	1,69,174	1,66,227	31,421	26,520	2,12,273	2,02,868
	अविनिधानीय आस्तियां							1,418	2,527
	कुल आस्तियां							2,13,691	2,05,395
	सेगमेंट की देयताएँ	8,387	7,281	1,55,074	1,53,997	26,509	22,886	1,89,970	1,84,164
	अविनिधानीय देयताएँ							1,883	1,905
	कुल							1,91,853	1,86,069
	पूंजी / आरक्षितियाँ	3,261	2,848	13,931	10,373	4,646	6,105	21,838	19,326
	कुल							21,838	19,326
	कुल देयताएँ							2,13,691	2,05,395

भाग ख : भौगोलिक सेगमेंट - शून्य

(ग) लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	अभिभावक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक संस्थाएं	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी	कुल
उधार#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	8.92	1.00	-	9.92
जमा राशि का नियोजन #	-	-	4.00	-	-	4.00
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-

मदें / संबंधित पक्ष	अभिभावक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक संस्थाएं	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी	कुल
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	36.10	-	-	36.10
वर्ष के दौरान अधिकतम /	-	-	36.10	-	-	36.10
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
लीजिंग व्यवस्था के लाभ का उपयोग#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपलब्ध कराई गई लीजिंग व्यवस्था#	-	-	-	-	-	-
वर्षांत तक की बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया ब्याज	-	-	0.11	0.02	-	0.13
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का प्रतिदान*	-	-	0.90	-	-	0.90
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	0.07	-	-	0.07
प्रबंधन संविदाएँ**	-	-	-	0.92	-	0.92

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि जिनका खुलासा किया जाना है

* संविदात्मक सेवाएं आदि लेकिन विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं नहीं।

** प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक।

17 अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं

पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन और उपदान देयता प्रदान की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और परिशोधन नहीं किया जाता है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते **बोरकर & मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-
101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 25 मई, 2021

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

मार्च 31, 2020		विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
31,63,16,86,674		लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		34,38,65,96,767
		निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
18,36,84,906		मूल्यह्रास	24,08,96,441	
7,03,89,36,030		निवेश में निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	15,61,67,178	
3,98,96,93,639		किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	9,96,54,25,918	
(8,98,38,31,402)		निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(6,26,11,65,982)	
(44,18,585)		स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(7,76,607)	
(43,63,34,432)		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(4,28,83,77,871)	(18,78,30,923)
33,41,94,16,830		**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**34,19,87,65,844**
		(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		
		निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
9,13,18,71,240		चालू आस्तियां	10,78,68,65,477	
1,93,54,28,554		चालू देयताएँ	23,82,87,52,411	
3,96,15,78,214		विनिमय बिल	1,39,26,20,479	
(2,66,36,38,25,532)		ऋण एवं अग्रिम	47,97,61,52,650	
(41,73,53,03,530)		**बॉन्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ**	(1,66,13,19,29,316)	
3,40,49,16,89,558		प्राप्त जमा	1,53,62,00,55,791	
47,42,14,38,504				**71,47,25,17,492**
80,84,08,55,334				1,05,67,12,83,336
(6,54,77,52,940)		कर अदायगी	(4,83,84,41,797)	(4,83,84,41,797)
74,29,31,02,394		**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**1,00,83,28,41,539**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(19,13,56,938)		स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(14,84,01,808)	
(21,88,40,35,324)		निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ शोधन	(1,47,57,92,56,439)	
48,48,52,951		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	4,53,97,66,761	
(21,59,05,39,311)		**निवेष गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,43,18,78,91,486)**
	3.	**वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,70,97,37,727)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(25,13,88,890)	
(1,70,97,37,727)		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**	-	**(25,13,88,890)**
50,99,28,25,356	4.	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)**		**(42,60,64,38,837)**
72,11,45,71,912	5.	**अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**1,23,10,73,97,268**
1,23,10,73,97,268	6.	**अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**80,50,09,58,431**
	7.	**अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं**		
6,30,354		हाथ में नकदी		6,63,600
36,70,28,055		बैंक में चालू खाते में अतिशेष		95,09,81,136
34,10,00,00,001		म्यूचुअल फ़ंड		37,50,81,24,592
88,63,97,38,858		जमाराशियाँ		42,04,11,89,103

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बोरकर & मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 101569W

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

सिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 25 मई, 2021

डिबेंचर ट्रस्टी

रुपये में उधारी से संबंधित सिडबी के बकाया अप्रतिभूत बांड जारी करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों का संपर्क विवरण निम्नवत् है

वित्तवर्ष 2019-20 और वित्तवर्ष 2020-21

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल)
पता विवरण और पता	:	एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001
संपर्क व्यक्ति	:	श्री रितोब्रत मित्रा
संपर्क संख्या (सीधा)	:	+91 22 40807023
संपर्क संख्या (मोबाइल)	:	+91 9892258709
फ़ैक्स	:	+91 22 66311776
ईमेल	:	itsl@idbitrustee.com / response@idbitrustee.com
वेबसाइट	:	http://www.idbitrustee.com

सिडबी द्वारा जारी ऋण लिखतों का श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग)

बैंक के अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण लिखतों का श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) केयर रेटिंग्स, आईसीआरए लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा किया जाता है।

वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान :

1. केयर लिमिटेड ने निम्नलिखित का श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) की पुनर्पुष्टि की है :
    - केयर एएए; ₹1,25,000 करोड़ एमएसई/आरआईडीएफ़ जमा और ₹34,489 करोड़ के अप्रतिभूत बांड के लिए स्थिर (ट्रिपल ए; आउटलुक : स्थिर),
    - केयर एएए (एफडी); ₹8,000 करोड़ के सावधि जमा के लिए स्थिर (ट्रिपल ए; आउटलुक : स्थिर)
    - केयर एएए; ₹46,000 करोड़ के जमा प्रमाणपत्र के लिए/वाणिज्यिक-पत्र कार्यक्रम के लिए स्थिर [ट्रिपल ए; आउटलुक : स्थिर]/ केयर ए1+ [ए वन प्लस]।
    - ₹30,000 करोड़ के बैंक ऋण के लिए केयर एएए

2. आईसीआरए लिमिटेड ने कुल ₹5,000 करोड़ के अप्रतिभूत बांड निर्गम कार्यक्रम के लिए आईसीआरए एएए/स्थिर के श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) की पुनर्पुष्टि की है।

3. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने ₹21,600 करोड़ के वाणिज्यिक-पत्र कार्यक्रम के लिए आईएनडी ए1+ की श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) की पुष्टि की।

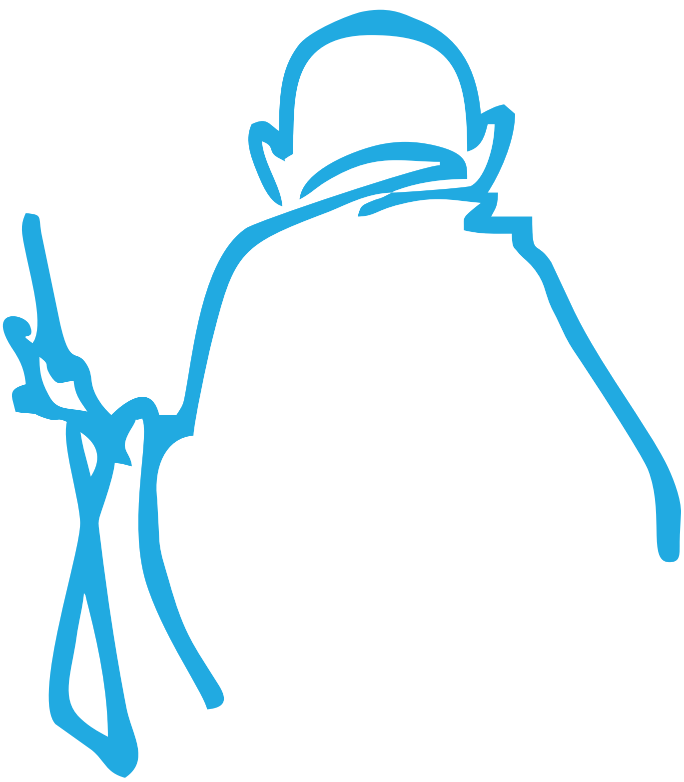

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in | @sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Concept & Design WYATT Prism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)